राजस्थान सरकार

नागरिक सुरक्षा योजना – 2026
CIVIL DEFENCE PLAN - 2026

डॉ रविन्द्र गोस्वामी (भा.प्र.से.)
नियन्त्रक (कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, पाली

अनुक्रमणिका

क.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
01	जिला नागरिक सुरक्षा योजना	3
	भाग – I	
02	नागरिक सुरक्षा परिचय व उद्देशीय	4–7
	भाग – II	
03	पाली जिले की रुपरेखा व जिला प्रशासन दूरभाष	8–20
	भाग – III	
04	नागरिक सुरक्षा सेवायें, उनकी अधिकृत नफरी व सेवा प्रभारी अधिकारी	21–24
05	मुख्यालय (Headquarter Service)	24–27
06	संचार सेवा (Communication Service)	27–30
07	वार्डन सेवा (Warden Service)	31–32
08	अग्निशमन सेवा (Fire Service)	33
09	प्रशिक्षण सेवा (Training Service)	33–34
10	हताहत सेवा (Casualty Service)	34–35
11	बचाव सेवा (Rescue Service)	35–36
12	निस्तारण सेवा (Salvage Service)	36
13	पूर्ति सेवा (Supply Service)	36–37
14	डिपो व परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)	37–38
15	शव निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)	38–39
16	कल्याण सेवा (Welfare Service)	39–41
	भाग – IV	
17	निष्क्रमण (Evacuation)	41–43
18	रिपेयर एवं डेमोलेशन	43–44
19	आवश्यक सेवायें व पशुओं की देखभाल	45–46
20	हवाई हमले की स्थिति में प्रकाश प्रबन्धन	46–47
	भाग – V	
21	रासायनिक युद्ध	48–50
22	जैविक युद्ध	51–52
23	परमाणु युद्ध	53–61
	भाग – VI	
24	जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची	62
25	जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची	63–83
26	जिले में उपलब्ध खोज व बचाव उपकरणों एव अन्य संसाधनों की सूची	84
27	मॉक ड्रिल	84
28	जिले में स्थापित विद्युत सायरन	85

जिला नागरिक सुरक्षा योजना

यह एक विचित्र किन्तु वास्तविक है कि विश्व में सामाजिक, वैज्ञानिक एवं आर्थिक उन्नति के साथ–साथ बढ़ती प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के कारण जन–धन हानि में अपार वृद्वि हुई है। पाली जिला प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं की सभावनाओं से अछूता नहीं है। आपदाओं से निपटने में नागरिक सुरक्षा के लिए किये जाने वाले उपायों एवं कार्य योजना के अभाव में कई बार प्रशासन भी कर्तव्य विमूढ़, असहाय एवं दिशा भ्रमित सा हो जाता है। अतः आपदा से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए मुख्यतः मानव जनित आपदा जैसे– युद्व के समय होने वाला हवाई हमला, बम विस्फोट, परमाणु, रसायन व जैविक युद्व, ओद्योगिक दुर्घटनायें इत्यादि जिससे होने वाली जन–धन की हानि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इसके लिए स्थानीय नागरिकों द्वारा एवं प्रशासन के सहायोग से अपने ही नागरिकों की होने वाली क्षति को कम से कम करने, उनका मनोबल बनाए रखने, आर्थिक उत्पादन जारी रखने इत्यादि एवं समस्त संभावित आपदाओं का आंकलन एवं सूचनाओं को संकलित कर एक संगठित नागरिक सुरक्षा योजना के रूप में कार्य योजना तैयार की गई है। पाली जिले की जनसंख्या की गणना 2011 के अनुसार 20.37 लाख है।

तैयार की गई योजना में जनता को पूर्ण जानकारी देने के लिए अथवा घटनाओं के समय जनता के ही सहयोग से एक जुट कार्य करने हेतु एक प्रशिक्षित स्वयंसेवी संगठन जो कि प्राकृतिक एवं मानवीकृत आपदाओं के समय कार्य के संचालन एवं सम्पादन में पूर्ण सहयोग करेगा, का निर्माण किया गया है। योजना तैयार करते समय व्यवहारिकता एवं क्रियात्मकता का ध्यान रखा गया है तथा प्रयास किया गया है कि सभी स्थानीय समस्याओं को इस योजना में समायोजित कर लिया जावे। फिर भी समय–समय पर आने वाली नयी समस्याओं से निपटने के उपायों को इस योजना मे सम्माहित कर लिया जावेगा।

भारत व राज्य सरकार द्वारा पाली जिला नागरिक सुरक्षा कैटेगरी III जिला घोषित है।

दिनांक :

(डॉ रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर पदेन नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा, पाली

भाग – I

1.1 नागरिक सुरक्षा : परिचय

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) के दौरान देश के मुख्य बन्दरगाह (मुम्बई व कोलकता) में हवाई हमले तथा अक्टूबर 1962 में भारत–चीन युद्ध के दौरान देश के शहरों पर हुए हवाई हमलों में आगजनी व भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण हुए जान–माल का भारी नुकसान हुआ। इसे को देखते हुए भारत सरकार द्वारा नवम्बर 1962 में नागरिक सुरक्षा विभाग के गठन किये जाने हेतु नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसकी पालना में राजस्थान सरकार द्वारा 13 नवम्बर 1962 को अधिसूचना जारी कर राज्य के सीमावर्ती जिलों में बाहरी आक्रमण की स्थिति में स्थानीय नागरिकों की जान व माल की सुरक्षा हेतु स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किये जाने हेतु राज्य में 12 नागरिक सुरक्षा नगरों की अधिसूचना जारी कर, वहां नागरिक सुरक्षा इकाईयां स्थापित की गयी।

नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा 1965 एवं 1971 के भारत–पाक युद्धों के दौरान सक्रिय भागीदारी निभाते हुए, जान व माल के नुकसान को कम करने में सराहनीय सहयोग दिया गया। 2001 में गुजरात भूकम्प, 2004 में सुनामी व प्राकृतिक/मानवीकृत आपदाओं की घटनाओं में वृद्धि को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम लाया गया। साथ ही नागरिक सुरक्षा विभाग में आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों का हवाई हमले के साथ ही आपदा/विपदाओं के दौरान सदुपयोग किये जाने हेतु नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक बदलाव करते हुए, नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संशोधन) 2009 जारी किया गया, जिससे इस विभाग की हवाई हमले के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में भी अहम भूमिका हो गयी है।

1.2 नागरिक सुरक्षा का उद्धेश्य

देश/राष्ट्र पर आने वाली संकटकालीन स्थिति में हो रहे जान–माल की क्षति को कम करने, खोज बचाव कार्य प्रभावितों के मनोबल को बनाये रखने एवं आर्थिक उत्पादन जारी रखने के लिए सरकार, स्थानीय जनता/संस्था/स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया गया स्वैच्छिक प्रयास ही नागरिक सुरक्षा है। अर्थात नागरिक सुरक्षा का उद्धेश्य ''**नागरिकों की सुरक्षा नागरिकों के द्वारा**'' करना है। इस उद्धेश्य के अन्तर्गत राष्ट्रीय कार्य में सहयोग के लिए इच्छुक महिला व पुरूषों को नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण देकर नियंत्रक (जिला कलक्टर) के द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक मनोनीत किया जाता है। नागरिक सुरक्षा विभाग आपदा/विपदा एवं दुश्मन देश द्वारा आक्रमण किये जाने की स्थिति में स्थानीय लोगों को उनके माध्यम से ही (नागरिक सुरक्षा के स्थानीय स्वयंसेवक) किये जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों की जानकारी देने का कार्य करता है।

1.3 राज्य में नागरिक सुरक्षा विभाग

आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 के लागू होने के उपरान्त, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/स्वयंसेवकों के आपदा प्रबन्धन में उपयोग लिए जाने को देखते हुए, भारत सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में आंशिक संशोधन कर ''नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2009 संशोधन'' किया गया है। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसकी प्राथमिक भूमिका ''बाहरी आक्रमण/हवाई हमला'' के साथ–साथ द्वितीय भूमिका आपदा प्रबन्धन में दी गयी है। इससे नागरिक सुरक्षा विभाग की आपदा प्रबन्धन में अहम भूमिका को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2015 को जारी अधिसूचना के तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग के अधीन कर दिया गया। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिनांक 12 जुलाई 2017 को अधिसूचना जारी कर राज्य के समस्त जिलों को ''नागरिक सुरक्षा जिले'' घोषित कर दिया गया।

1.4 नियन्त्रण :

(क) **निदेशालय, नागरिक सुरक्षा, राजस्थान, जयपुर** – नागरिक सुरक्षा विभाग का सीधा प्रशासनिक नियन्त्रण आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राजस्थान के अधीन है। वर्तमान में आयुक्त (विभागाध्यक्ष) नागरिक सुरक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के पास है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, उप निदेशक, सीनियर स्टाफ आफिसर एवं अन्य अधिकारी/कार्मिक स्वीकृत हैं।

(ख) **नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान, जयपुर** –नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राजस्थान का प्रशासनिक नियंत्रण आयुक्त/निदेशक नागरिक सुरक्षा विभाग के अधीन है। वर्तमान में संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा, जयपुर के पास निदेशक, नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का अतिरिक्त प्रभार है। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार उप निदेशक, सहायक निदेशक एवं अन्य स्टाफ अधिकृत है।

(ग) **नागरिक सुरक्षा जिला कार्यालय** – जिले में जिला कलक्टर नागरिक सुरक्षा के नियंत्रक हैं। प्रशासनिक व्यवस्था एवं प्रशिक्षण हेतु, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 एवं रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स के तहत जारी दिशा निर्देशानुसार, नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के सहयोग हेतु जिले में उप नियन्त्रक/सहायक नियन्त्रक एवं अन्य अधीनस्थ स्टाफ स्वीकृत है।

(घ) **नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा** – वर्तमान में नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के अधीन राज्य के केवल 12 नागरिक सुरक्षा जिलों में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा संचालित है। शेष जिलों में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

1.5 नागरिक सुरक्षा विभाग में प्रशासनिक नियंत्रण :–

(क) नागरिक सुरक्षा, विभाग (राज्यस्तरीय संगठन)

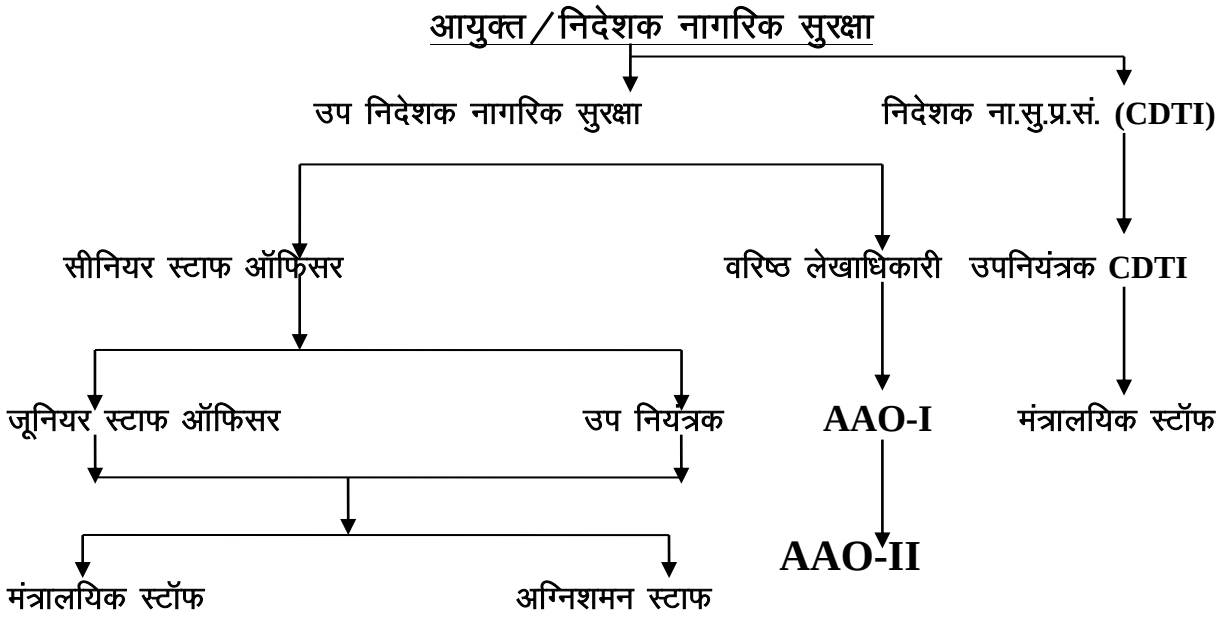

(ख)नागरिक सुरक्षा (जिला स्तर)

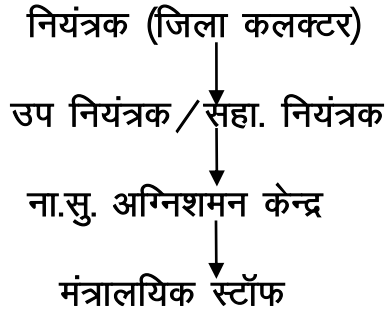

1.6 नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 (संख्या 27)

भारत सरकार द्वारा 24 मई 1968 को नागरिक सुरक्षा अधिनियम (संख्या 27) के तहत देश में दुश्मन देश द्वारा बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से होने वाले नुकसान एवं स्थानीय लोगों को इसके लिए प्रशिक्षित करने तथा बचाव कार्यों के लिए नागरिक सुरक्षा कोर के गठन किये जाने की स्वीकृति दी गयी। इसमें नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा नियम 1968 एवं नागरिक सुरक्षा विनियम 1968 भी बनाये गये।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 बनाये जाने के पश्चात, नागरिक सुरक्षा विभाग के आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षित अधिकारियों/कार्मिकों/ स्वयंसेवकों के हवाई हमले के साथ–साथ आपदा प्रबन्धन में उपयोग को देखते हुए, वर्ष 2009 में नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 में संशोधन करते हुए ''नागरिक सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 2009'' जारी किया गया। इसके तहत नागरिक सुरक्षा विभाग को उसके प्राइमरी रोल ''बाहरी आक्रमण के दौरान हवाई हमलों से सुरक्षा'' के साथ ही सैकेण्डरी रोल ''आपदा प्रबन्धन'' भी कर दिया गया।

भाग – ।।

पाली जिले की रूपरेखा

2.1 पाली जिले का नक्शा

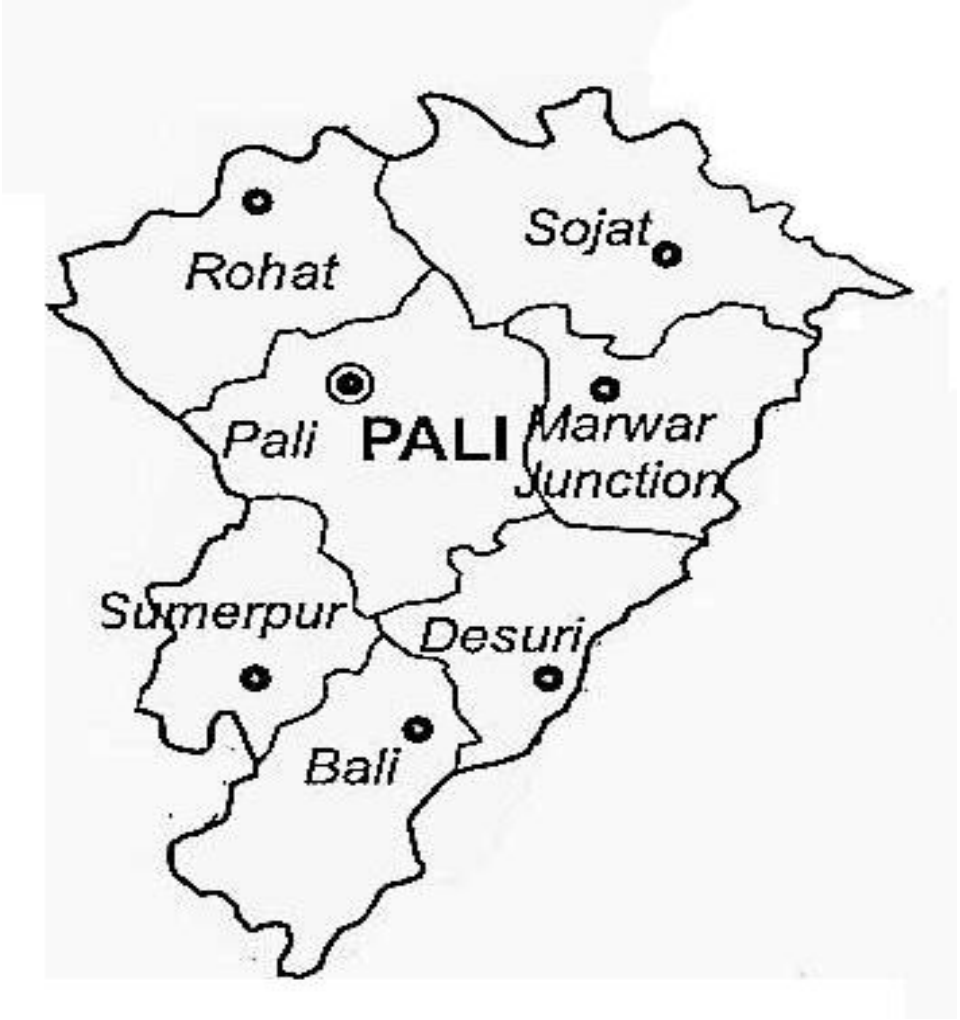

2.2 भौगोलिक स्थिति – पाली जिला उत्तरी अक्षांस $24^0$45′ से $26^0$29′ तथा पूर्वी देशान्तर $72^0$47′ से $74^0$18′ के मध्य स्थित हें जिले का भौगालिक क्षेत्रफल 12387 वर्ग किलोमीटर है। पाली जिले के क्षेत्र को उप पर्वतीय क्षेत्र कहा जा सकता है। यहां पर लहरदार मैदानी इलाके के अतिरिक्त यत्र–तत्र छितरी अरावली पर्वत श्रेणियों जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग से होकर जाती है जिनकी अधिकतम ऊंचाई 1099 मीटर के करीब है तथा मैदानी क्षेत्र मे सामान्य ऊंचाई 180 से 500 मीटर के करीब है। भूमि ढलान पूर्व से पश्चिम

की ओर है तथा पाली नगर समुद्र तल से करीब 212 मीटर ऊंचाई पर है। यहां की अधिकांश भूमि दुमट बलुई है तथा पानी का सामान्य स्तर जमीन से 15 मीटर गहरा है।

जिले की सीमाएं राज्य के 8 जिलों से मिलती है –उत्तर में नागौर व जोधपुर, पश्चिम में जालौर, सिरोही, दक्षिण पूर्व में उदयपुर, राजसमंद, उत्तर पूर्व में ब्यावर जिला तथा पश्चिम में इस जिले की सीमाएं बालोतरा जिले के सिवाना तहसील को भी छूती है।

2.3 <u>सामान्य जानकारी</u> :– जिले में उपखण्ड/तहसील/पंचायत समिति/नगर निकाय/ग्राम पंचायत वार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	*उपखण्ड का नाम*	*तहसील का नाम*	*पंचायत समिति का नाम*	*ग्राम पंचायत का नाम*	*जिले में नगर निकाय*
1.	*बाली*	बाली	बाली	1 **AMLIYA** 2 **BARWA** 3 **BEDAL** 4 **BERA** 5 **BERDI** 6 **BHANDAR** 7 **BHATUND** 8 **BHEETWARA** 9 **BHIMANA** 10 **BIJAPUR** 11 **BISALPUR** 12 **BOYA** 13 **CHAMUNDERI** 14 **DHANI** 15 **DOODNI** 16 **GORIYA** 17 **GURALAS** 18 **KAKARADI** 19 **KHETARLI** 20 **KHIMEL** 21 **KOTBALIYAN** 22 **KOTHAR** 23 **KOYALWAO** 24 **KUMTIYA** 25 **KUNDAL** 26 **KURAN** 27 **LALPURA** 28 **LATARA** 29 **LUNAWA** 30 **LUNDARA** 31 **MALNOO** 32 **MIRGESWAR** 33 **MOKAMPURA** 34 **MUNDARA** 35 **NADIYA** 36 **NANA** 37 **PADERLA** 38 **PEEPLA** 39 **PERWA** 40 **PHALNA (RURAL)**	Nagar Palika, Bali Nagar Palika, Khudala Falna

				41	**RAMPURA**	
				42	**SENA**	
				43	**SESLI**	
				44	**SEWARI**	
				45	**SHIVTALOB**	
				46	**THANDI BERI**	
				47	**UPLA BHIMANA**	
2.	*देसूरी*	*देसूरी*	*देसूरी*	1	**AANA**	Nagar Palika, Sadri
				2	**BAGOL**	
				3	**BAROD**	
				4	**DADAI**	
				5	**DAYLANA KALAN**	
				6	**DESURI**	
				7	**DHALOP**	
				8	**DUDAPURA**	
				9	**GHANERAO**	
				10	**GUDA JATAN**	
				11	**KESULI**	
				12	**KOT SOLANKIYAN**	
				13	**KOTRI**	
				14	**MADA**	
				15	**MAGAR TALAB**	
				16	**MANDIGARH**	
				17	**MANDPUR**	
				18	**MORKHA**	
				19	**NADOL**	
				20	**NARLAI**	
				21	**PANOTA**	
				22	**SANSARI**	
				23	**SINDARLI**	
				24	**SUMER**	
3.	*मारवाड जंक्शन*	*मारवाड जंक्शन*	*खारची(मरजून)*	1	**AUWA**	Nagar Palika, Marwar Jn
				2	**BANSOR**	
				3	**BANTA**	
				4	**BARSA**	
				5	**BASNI JOJAWAR**	
				6	**BHAGORA**	
				7	**BHIWALIYA**	
				8	**BITHORA KALAN**	
				9	**BORI MADA**	
				10	**BORNARI**	
				11	**CHAUKARIYA**	
				12	**CHAWADIYA**	
				13	**CHIRPATIYA**	
				14	**DEOLI**	
				15	**DHAMLI**	
				16	**DHANLA**	
				17	**DHUNDHALA**	
				18	**DUDOR**	
				19	**GADANA**	
				20	**GURA KESHAR SINGH**	
				21	**GURA RAMSINGH**	
				22	**GURA SOORSINGH**	
				23	**HEMLIYA WAS KHURD (RURAL)**	
				24	**HINGOLA KHURD**	
				25	**ISALI**	
				26	**JADAN**	
				27	**JANUDA**	
				28	**JHINJHARDI**	
				29	**JOJAWAR**	
				30	**KANTALIYA**	
				31	**KARARI**	
				32	**KHARCHI**	
				33	**MALSA BAORI**	
				34	**MANDA**	

				35	**MARWAR JUNCTION (C.T.)**	
				36	**MUSALIYA**	
				37	**NIMBLI MANDA**	
				38	**PANCHETIYA**	
				39	**PHULAD**	
				40	**RADAWAS**	
				41	**RANAWAS**	
				42	**SARAN**	
				43	**SAWRAD**	
				44	**SEERIYARI**	
				45	**SEHWAJ**	
				46	**SHEKHAWAS**	
				47	**SINLA**	
				48	**VOPARI**	
4.	*पाली*	पाली	पाली	1	**BADER WAS**	Nagar Nigam, Pali
				2	**BANIYAWAS**	
				3	**BHANGESAR**	
				4	**BHANWARI**	
				5	**BOMADARA**	
				6	**DARI**	
				7	**DAYALPURA**	
				8	**DENDA**	
				9	**DINGAI**	
				10	**GIRADRA**	
				11	**GUNDOJ**	
				12	**GURA ENDLA**	
				13	**GURDAI**	
				14	**HEMAWAS**	
				15	**KHERWA**	
				16	**KOORNA**	
				17	**LAMBIYA**	
				18	**MANIHARI**	
				19	**ROOPAWAS**	
				20	**SAKDARA**	
				21	**SANPA**	
				22	**SODAWAS**	
				23	**SONAI MANJI**	
				24	**TEWALI**	
5.	*रानी*	*रानी*	*रानी स्टेशन*	1	**BALRAI**	Nagar Palika, Rani
				2	**BHADARLAU**	
				3	**BIJOWA**	
				4	**BUSI**	
				5	**CHANCHORI**	
				6	**DEOLI PABUJI**	
				7	**DHARIYA**	
				8	**GAJNIPURA**	
				9	**PEELOWANI**	
				10	**INDERWARA**	
				11	**ITENDRA CHARANAN**	
				12	**ITENDRA MERTIYAN**	
				13	**JAWALI**	
				14	**JEEWAND KALAN**	
				15	**KERLI**	
				16	**KHINWARA**	
				17	**KHOR**	
				18	**KIRWA**	
				19	**KISHANPURA**	
				20	**MANDAL**	
				21	**NADANA BHATAN**	
				22	**NEEPAL**	
				23	**NIMBARA**	
				24	**RANI KALAN**	
				25	**SALARIYA**	
				26	**SANWALTA**	
				27	**SIWAS**	
				28	**VARKANA**	

				29	**WANDAR**	
6.	*रोहट*	रोहट	रोहट	1	**BHAKRIWALA**	
				2	**BITHOO**	
				3	**CHENDA**	
				4	**CHOTILA**	
				5	**DHABAR**	
				6	**DHOLERIYA SASAN**	
				7	**DIWANDI**	
				8	**GADHWARA**	
				9	**GELAWAS**	
				10	**JHEETRA**	
				11	**KALALI**	
				12	**KHANDI**	
				13	**KHARDA**	
				14	**KHUNDAWAS**	
				15	**KULTHANA**	
				16	**MANDAWAS**	
				17	**NIMBLI URA**	
				18	**RANA**	
				19	**ROHAT**	
				20	**SANWALTA KALAN**	
				21	**SINGARI**	
				22	**SONAILAKHA**	
				23	**VAYAD**	
7.	*सोजत*	*सोजत*	*सोजत*	1	**ATBRA**	Nagar Palika, Sojat city
				2	**BAGARI NAGAR**	
				3	**BASNA**	
				4	**BHAISANA**	
				5	**BIRAWAS**	
				6	**BOYAL**	
				7	**CHANDAWAL**	
				8	**CHANDAWAL STATION**	
				9	**CHARWAS**	
				10	**CHOPRA**	
				11	**DHAKRI**	
				12	**DHEENAWAS**	
				13	**DHURASANI**	
				14	**GAGRAU**	
				15	**GUDA BEEJA**	
				16	**GUDA KALAN**	
				17	**GUDA RAMSINGH**	
				18	**HARIYA MALI**	
				19	**JHUPELAO**	
				20	**KARMAWAS**	
				21	**KELWAD**	
				22	**KHARIYA NEEV**	
				23	**KHARIYA SODA**	
				24	**KHOKHARA**	
				25	**KHORIYA**	
				26	**MANDLA**	
				27	**MEV**	
				28	**RAJOLA KALAN**	
				29	**RAYARA KALAN (KHURD)**	
				30	**RENDRI**	
				31	**REPRAWAS**	
				32	**RUPAWAS**	
				33	**SANDIYA**	
				34	**SARDAR SAMAND**	
				35	**SHIVPURA**	
				36	**SIYAT**	
				37	**SOJAT ROAD**	
				38	**SURAYTA**	
8.	*सुमेरपुर*	*सुमेरपुर*	*सुमेरपुर*	1	**ANOPPURA**	Nagar Palika, Sumerpur Nagar Palika,
				2	**BALANA**	
				3	**BALUPURA**	
				4	**BAMNERA**	

				5 **BANKALI** 6 **BASANT** 7 **BHARUNDA** 8 **BIRAMI** 9 **CHANOD** 10 **DAOTARA** 11 **DHANA** 12 **DHOLA** 13 **DUJANA** 14 **GALTHANI** 15 **GOGARA** 16 **JAWAI BANDH** 17 **KHIMARA** 18 **KHIWANDI** 19 **KOLIWARA** 20 **KORTA** 21 **KOSELAO** 22 **LAPOD** 23 **NETRA** 24 **NOVI** 25 **PALRI** 26 **PAWA** 27 **POMAWA** 28 **SALODARIYA** 29 **SANDERAO** 30 **SINDRU**	Takhatgarh

2.4 <u>नदियां व बांध</u> :– जिले में स्थित मुख्य नदियां एवं सहायक नदियों का विवरण निम्नानुसार है :–

तहसील का नाम	मुख्य नदियों के नाम जो तहसील क्षेत्र में बहती है	प्रभावित गांवों के नाम
सोजत	सुकडी 1, लीलडी, गुडिया	कंटालिया, खोखरा, राजसागर,
मारवाड जं.	आउवा, बाण्डी, जाजावर फूलाद नदी	जोगडावास, आउवा, देवली कंटालिया
देसरी	सुकडी 2	सावडी, बालराई, चाचोडी, रानी स्टैत्र
पाली/रोहट	गुहिया, सूकडी 2, बाण्डी	रानी, चाचोडी, बालराई, एंदला, चाणोद, भीण्डर, कुलथाना, बाणियाास, बुमादडा, आकेली, रानलावास, पाली, एन्दला, रोहट, दीवान्दी, नेहडा, फेकारिया, साजी, गढवाडा, खुटाणी, पाली

2.5 **परिवहन** :–

सड़क मार्ग		रेल मार्ग	वायु मार्ग
नेशनल हाइवे	**स्टेट हाइवे**		
• NH 62 – गंगानगर–बीकानेर –जोधपुर–पाली– सिरोही • NH 162 – पाली– सोजत–ब्यावर	• SH 32 – पाली, उदयपुर, डुंगरपुर, बांसवाड़ा • SH 58 – जोधपुर –पाली–अजमेर– राजसमंद • SH 61 – जोधपुर –पाली–राजसमंद– भीलवाड़ा • SH 62 – जोधपुर –पाली–सिरोही • SH 64 पाली– जालोर • SH 67 सरदार सामंद– पाली– देसूरी	जिले में रेल यात्रा के लिए पाली रेलवे स्टेशन से राज्य व देश के अन्य जगहों पर यात्रा की जा सकती है।	जिले के नजदीक हवाई अडडा, जोधपुर है।

2.6 जिला प्रशासन की सूची

DLO TELEPHONE NO's OF PALI DISTRICT				
ADMINISTRATION		OFFICE	RES.	MOBILE
SH. KANAIYA LAL SWAMI	DIVISIONAL COMMISSIONER, Jodhpur	299001		
SH. RAVINDRA GOSWAMI	DISTRICT COLLECTOR	252801	252802	99711-41943
DR. BAJRANG SINGH	A.D.M. PALI	252804	252805	95214-80808
SH. SHAILENDRA SINGH	A.D.M. BALI	222555		85879-61924
SMT. OM PRABHA	ADM (CEILING)	226804		94143-20007
SH. MUKESH CHOUDHARY	CEO ZP PALI	252806		94144-11965
SH. VISHAL SIPA	ACEO PALI	220380		70238-31090
DR. BHASKAR BISHNOI	RAA	225071		82399-59800
DR. BAJRANG SINGH	SEC. U.I.T.PALI	223222	94136-93633	95214-80808
SH. BHAGIRATH RAM	DIG, REG. & STAMP	225091	94141-00350	98286-99811
SH. RAKESH GOYAL	TREASURY OFFICER	250220	223430	98294-73808
SH. KAMAL KANT	DIST.SUPPLY OFFICER	251007		98293-77843
SH. KAPIL	D.I.O	225560		97849-84417
SH. RAJESH CHOUDHARY	A.C.P. (DOIT)	226611		99864-83120
POLICE				
MISS. MONIKA SEN	S.P.PALI	251531	251532	87645-22201
SH. JAI SINGH TANWAR	ADD.S.P.PALI	251533	251534	98298-24476
S.D.O.				
SH. VIMLENDRA RANAWAT	S.D.O. PALI	252810	220448	96366-66522
SH. MASINGARAM	S.D.O. SOJAT	02960-222023		99289-17951
SH. KALU RAM KUMHAR	S.D.O. SUMERPUR	02933-256224	256324	98290-77336
SH. MAHAVEER SINGH JODHA	S.D.O. MARWAR JUN.	02935-252237		94603-15738
SH. DINESH BISHNOI	S.D.O. BALI	02938-222072		96361-45706
SH. SHIVA JOSHI	S.D.O. RANI	02934-220226		91160-17266
SH.SIDDHARTH SANDU	S.D.O. DESURI	02934-254498	254722	90799-04489
SH. PURAN KUMAR	S.D.O ROHAT	02936-268371	268372	82097-05581

TEHSILDAR/NAYAB TEHSILDAR				
SH. KALPESH KUMAR	TEHSILDAR PALI	222252		99284-37916
SH. JITENDRA SINGH	TEHSILDAR BALI	02938-222071		91169-41399
SH. SHIV JI RAM BAVRI	TEHSILDAR M.J.	02935-252236		97725-13921
SH. FATEH SINGH	TEHSILDAR DESURI	02934-254126	94146-08974	94131-63934
SH. MOHAN LAL	TEHSILDAR RANI	02934-220126		99288-66848
SH. DILIP SINGH	TEHSILDAR SOJAT	02960-222013		77377-89931
SH. HIMANSHU KACHWAH	TEHSILDAR SUMERPUR	02933-252939	252939	98286-36539
SH. PRAKASH PATEL	TEHSILDAR ROHAT	02936-268281	268281	99289-43707

SH. REKHA DEVI	TEHSILDAR ELECTION			99289-63153
SH.	N.T. PALI			
SH.	N.T. ROHAT			
SH. DILIP SINGH	N.T. SOJAT			77377-89931
SH. FULA RAM	N.T. M.J.			99294-14800
SH. MANMOHAN SINGH RATHORE	N.T. BALI			
SH. PRATEEK SHARMA	NT SUMERPUR			
SH. MOHAN LAL	N.T. RANI			99288-66848
SH. GIRIRAJ SINGH RANAWAT	N.T. DESURI			
SH.	N.T. JAITARAN			
SH.....	N.T. RAIPUR			
SH. MANGI LAL MEENA	N.T. JAITPUR			99290-75376
SH. RATAN SINGH DEORA	N.T. NANA	94149-24837		88907-78912
SH. FATEH SINGH	N.T. BERA	80057-62769		94131-63934
SH. DILIP SINGH	N.T. BAGRI			77377-89931
SH. MADAN SINGH	N.T. KHIWARA			98294-03939
SH. DASRATH SINGH	N.T. TAKHATGARH			80032-27009
SDM OFFICE				
SH. UMA RAM	N.T. SOJAT SDM			94146-13611
SH. DASHRATH SINGH	N.T.SUMERPUR SDM			80032-27009
SH.	N.T. SDM DESURI	`		
SH. RAMSAWAROOP JOHAR	SUB REG. PALI I			75974-54635
SH. RAMSAWAROOP JOHAR	SUB REG. PALI II			75974-54635
AGRICULTURE				
SH. RAMESH CHAND	J.D. AGRICULTURE	221341		94603-42555
SH.MANOJ AGRAWAL	DY. DIR HORTICULTURE	222073		97999-62677
ANIMAL HUSBANDRY				
DR. MANOJ KUMAR	JOINT DIRECTOR	222227	75685-73007	94145-92475
BSNL				
SH.	TDM BSNL	220900		
SH. PRITAM	SDM PHONES	250400/225000	232999	94617-10219
SH. RAMESH MEENA	SUP. POST OFF. 221397	250008		94146-77024
CAZRI				
DR.	HEAD OF THE RRS PALI	258578, 256098		
CIRCUIT HOUSE				
SH. NARESH VERMA	MANAGER CIRCUITHOUSE	284299		94148-58586
COMERCIAL TAX				
SH. VIJAY RAWAL	D. C.SAL.TAX	220339	231116	90792-05461
COOPERATIVES				
SH. JITENDRA KUMAR	DY.REGISTRAR COOP.	256531		96800-99246

CHIEF PLANNIG OFFICER				
SH.SUMAN	ASO	225380		97840-14737
DAIRY				
SH. MADAN LAL	M.D., DAIRY	280139, 280379	280208	98292-87770
EDUCATION				
SH. RICHHALPAL SINGH	JOINT DIRECTOR			94148-07692
SH. OM PRAKASH MEENA	CDEO	221077		94606-27124
SH. RAHUL KUMAR RAJPUROHIT	D.E.O SEC. H.Q.PALI	220440		94602-33018
SH. RAHUL KUMAR RAJPUROHIT	D.E.O. ELE. H.Q.PALI	221690		94602-33018 905
SH. RAHUL KUMAR RAJPUROHIT (Add.ch.)	ADPC (SAMSA)			94602-33018
EMPLOYMENT				
SH.MANISH VISHNOI	EMPLOYMENT OFFICER	220404		94130-85029
EXCISE				
SH. MANOJ BISSA	DISTT. EXCISE FFICER			98288-31701
FACTORIES & BOILERS				
SH.SOURABH CHOUDHARY	SR.INSPECTOR ACTORIES			99833-83318
FOREST				
SH. KASTURI SULE	D.F.O. PALI	280798	280736	80972-57156
GPF & SI				
SH.HARI HAR SINGH	D.D. GPF & INSURANCE PALI	221524		97721-95531
GWD				
SH. ASHOK SINGH	XEN GWD, PALI	257664,280664	office : jai nagar, near vandematram school, pali	94625-84266
ICDS				
SH. PRAKASH	DD I.C.D.S.PALI	223995		86198-87752
MR. BHAGIRATH	MISSION POORNA SHAKTI MAHILA ADHIKARITA VIBHAG			94623-80109
INDUSTIRES				
SH. SAYED RAJAK ALI	G.M.DIC 230860	230213		98293-00511

5

IRRIGATION(WATERRESOT)	WRD			
SH. RAM NARAYAN CHOUDHARY	S.E.,IRRIGATION,PALI	222147	222167	80002-44864 94145-25069
J.V.V.N.L				
SH. AJAY MATHUR	S.E.,J.V.V.N.LTD; PALI	281270,280402	82092-22939	94133-59299
KARSHI UPAJ MANDI SAMITI				
SH. BHAGIRATH PARJAPAT	SEC. K.U.M. PALI	257138		77918-39923
LABOUR				
SH. SURENDRA GODARA	DY.LABOUR COM.	294592		81109-47589

LEAD BANK				
SH.KAILASH MEENA	L.B.O.	280429		95880-98250
MEDICAL				
DR. VIKASH MARWAL	CMHO PALI	257555	256384	97848-59777
DR. DILIP SINGH CHAUHAN	PRINCIPAL MEDICAL COLL	285002		90019-91078
DR. KAILASH PARIHAR	office superindent bangur hospital			94146-78301
DR. BAJRANG SHARMA	DISTT.AYURVEDIC OFFIC.	250026		94145-49287
MINING				
SH. VINIT GEHLOT	M E . SOJAT	02960-222202		88245-24894
MINORIY WELFARE				
SH. J.P.ARORA	DISTT MINORITY WEL. OFFICER	252019		81122-53772
M-POWER				
SH. DINESH BOHRA	MANAGER M POWER BALI			80030-00151
MUNCIPAL COUNCIL				
SH. NAVEEN BHARDWAJ	COMMISNOR M.C.PALI	221301	221343	94132-50135
MUNICIPALITIES				
SH. MAGRAJ CHOUDHARY	E.O.M.B. TAKHATGARH	02933-220133		98293-12819
SH. MAGRAJ CHOUDHARY	E.O.M.B. RANI	02934-222084		98293-12819
SH. NARPAT SINGH RAJPUROHIT	E.O.M.B. SUMERPUR	02933-252925	254396	94144-92677
SH. NEELKAMAL SINGH	E.O.M.B. SADRI	02934-285022		89495-95919
SH. ACHAL SINGH GURJAR	E.O.M.B. SOJAT	02960-222028		79760-79712
SH. SUNIL VISHNOI	E.O.M.B. SOJAT ROAD			96809-78507
SH. RAJAN RAV	E.O.M.B. BALI	02938-222045		94137-38325
SH. VINAYPAL	E.O.M.B. FALNA	02938-236170	97998-89980	77928-36100
SH. VIKRAM SINGH	E.O.M.B. MARWAR JN.			99282-09888
N.I.C.				
SH. KAPIL UJJWAL	DIO, NIC	225560	225030	97849-84417
N.Y.K				
SH. RAJENDRA	DISTT. CORD. NYK, PALI	226659		94613-15912
N.R.L.M. (ग्रामीण आजीविका मिशन)	RGIVIKA			
SAVITA T	P.D. N.R.L.M.	220055		97993-67715
P.C.C.B.				
SH. PRASHANT KALLA	M.D. P.C.C.B. PALI	222543		94609-58686
P.H.E.D				
SH. MANISH MATHUR	S.E. PHED PALI	222678		94140-25929
SH. MANISH MATHUR	S.E. JAWAI PIPELINE PROJECT PALI	222678		94140-25929
POLLUTION CONTROL BOARD	(rorpcb.pali@gmail.com)			
SH. AMIT SONI	R.O. POLLUTION BOARD	231616	258281	88900-75432
PUBLIC RELATION				

SH. SOURABH SINGARIA	P.R.O.			94600-71569
P.W.D				
SH. DILIP PARIHAR	S.E.PWD PALI	222744	222766	96722-98971
RAJ. FOOD SUPPLY CORPORATION LTD.				
SH. RAMESH BISHNOI	MANAGER	220086		96602-02929
RAJASTHAN FINANCE CORPORATION (RFC)				
SH. SALIL AMBER	DY. MANAGER pali@rfc.rajasthan.gov.in	231262		9414014367
RIICO				
SH. D.K. JHA	S.R.M. RIICO PALI	280630	280770	94140-41311
ROADWAYS				
SH. MOHAN MEENA	CHIEF MANAGER PALI	**232778, 284522 (Enq) 284622**		95496-53276
R.S.R.D.C.				
SH. SURESH SHARMA	R.S.L.D.C.(CORDINATOR)	220135		94141-29010
R.S.C.D.C.				
SH. JYOTI PRAKASH ARORA	P.M R.S.C.D.C. PALI	223944		81122-53772
R.U.I.D.P.				
SH. SHIVRAM SONI	S.E.RUIDP PALI			94144-11970
SAINIK KALYAN				
SH. G.S.RATHORE	SANIK KALYAN OFFICER	225230		78914-26335
SOCIAL WELFARE SJE				
SH. JYOTI PRAKASH ARORA	AD Social Justice	257706		81122-53772
SPORTS				
SH. LEHRI DAS	DISTT.SPORTS OFFICER	280427		76655-09909
STATISTICS				
SH. RAJENDRA TANK	DD STATISTICS	227512		80031-63265
TOURISM				
DR. SARITA FIRODA	DD TOURISM JODHPUR	2545083	96809-88936	94143-80192
TRANSPORT				
SH. O. P BAIRVA	R.T.O., PALI	257445		85609-77111
SH. VIJAY KUMAR MEENA	D.T.O PALI			94144-31333

7

B.D.O.				
SH. BHAGWAN SINGH	B.D.O. PALI	02932-221415		94144-40551
SH. BHOPAL SINGH JODHA	B.D.O BALI	02938-222030	223230	94608-08051
SH. PRAMOD DAVE	B.D.O, SUMERPUR	02933-252943		90014-90537
DR. NEMA RAM	B.D.O SOJAT	02960-222026		98291-37015

SH. BHOPAL SINGH JODHA	B.D.O DESURI	02934-254128	254401	94608-08051
SH. NARAYAN SINGH	B.D.O RANI	02934-222007		80037-72128
SH Bhagirath singh	B.D.O M.J.	02935-252209	253258	98282-15815
SH. Man Mohan Meena	B.D.O ROHAT	02936-268229	268826	94144-23656

भाग – III

3.1 नागरिक सुरक्षा सेवायें – नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत हवाई हमले नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (Revised Edition 2011) एवं नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त (Revised Edition 2003) के तहत हवाई हमला एवं अन्य आपदाओं के दौरान जान व माल की सूरक्षा एवं नागरिक सुरक्षा कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु, नागरिक सुरक्षा कार्यों को निम्नानुसार 12 सेवाओं में विभक्त किया गया है :–

क्र. सं.	सेवा का नाम	प्रभारी अधिकारी	सह प्रभारी
01	मुख्यालय सेवा (Headquarter Service)	श्री विमलेद्र राणावत, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा विभाग, पाली (9636666522)	सुश्री उषा यादव, उपाधीक्षक, पुलिस विभाग, पाली (9582582476)
02	संचार सेवा (Communiction Service)	श्री दिनेश चौहान, दूरसंचार जिला प्रबंधक भारत संचार निगम लि., पाली(9426189955)	1. श्री नरेन्द्र सिंह देवडा, ASP, पाली (9310110107) 2. श्री मनीष चारण, Dy SP Cyber बमसस (9414266815) 3. श्री राजेश चौधरी, संयुक्त निदेशक, DoIT&C, पाली (9986483120)
03	वार्डन सेवा (Warden Service)	श्री प्रदीप कुमार सेठी, कमाण्डेट, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, पाली (9460485359)	श्री रतनाराम देवासी उपाधीक्षक, पुलिस विभाग, पाली (8112214141)
04	अग्निशमन सेवा (Fire Service)	श्री नवीन भारद्वाज, आयुक्त, नगर निगम, पाली (9413250135)	श्री कुशल मीणा, अग्निशमन अधिकारी, पाली (9521255799)
05	प्रशिक्षण सेवा (Training Service)	श्री प्रदीप कुमार सेठी, कमाण्डेट, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, पाली	1. श्री कुशल मीणा, F.O. पाली 2. श्री रामलाल, प्रभारी अग्निशमन विभाग पाली (9950719523)
06	हताहत (चिकित्सा) सेवा (Casualty Sevice)	1. श्री विकास मारवाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली (9784859777) 2. श्री हजारीमल चौधरी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बागड चिकित्सालय, पाली (9414288621)	श्री जयसिंह तंवर, अति. पुलिस अधीक्षक, पाली (9829824476)

07	बचाव सेवा (Recue Service)	श्री विपिन शर्मा, अति. पुलिस अधीक्षक, पाली (9460156221)	1. श्री दिलीप परिहार, अधीक्षण अभियन्ता, सा.नि.वि., पाली (9672298971) 2. श्रीमती पूजा सक्सेना, सचिव, UIT, पाली (9414389407) 3. श्री राजेन्द्र सिंह उज्ज्वल, C.O. SC/ST, पाली (9414169480) 4. श्री महेन्द्र मेहता, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली (9414320062)
08	निस्तारण सेवा (Salvage Service)	श्री मुकेश चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली (9414411965)	1. श्री राकेश गोयल, ज्ण्द्, पाली (9829473808) 2. संबंधित SHO पुलिस थाना शहरी क्षेत्र 1. श्री नवीन भारद्वाज, आयुक्त, नगर निगम, पाली 2. संबंधित E.O, नगर पालिका ग्रामीण क्षेत्र 1. श्री विशाल सीपा, अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली(7023831090) 2. संबंधित विकास अधिकारी, पं.सं.
09	पूर्ति सेवा (Supply Service)	श्री नरेन्द्र सिंह देवडा, अति. पुलिस अधीक्षक, पाली(9310110107)	1. श्री मनजीत सिंह, जिला रसद अधिकारी, पाली(9829656033) 2. श्री सुघड़ सिंह, CO Traffic, पाली (8118899438)
10	डिपो एवं परिवहन सेवा (Depot & transport Service)	श्री विजय कुमार मीणा, जिला परिवहन अधिकारी पाली(9414431333)	1. श्री मनजीत सिंह, जिला रसद अधिकारी, पाली 2. श्री मोहन मीणा, मुख्य प्रबंधन, रोडवेज डिपो, पाली (9549653276) 3. श्री सुघड़ सिंह, CO Traffic, पाली।
11	मृतक शव निपटान सेवा (Corpse Disposal	शहरी क्षेत्र – श्री नवीन भारद्वाज, आयुक्त, नगर निगम, पाली	1. डॉ. तेजपाल चारण, RCHO, पाली(9660562104) 2. संबंधित ब्लॉक मुख्य चिकित्सा

	Service)	ग्रामीण क्षेत्र – संबंधित विकास अधिकारी	अधिकारी
12	कल्याण सेवा (Welfare Service)	शहरी क्षेत्र – श्री नवीन भारद्वाज, आयुक्त, नगर निगम, पाली ग्रामीण क्षेत्र – श्री मुकेश चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद पाली	1. श्री मनीष माथुर, SE PHED, पाली(9414025929) 2. श्री अजय माथुर, SE JdVVNL, पाली (9413359299) 3. श्री मनजीत सिंह, जिला रसद अधिकारी, पाली 4. श्री रामनारायण, SE WR, पाली(8000244864) 5. श्री सुघड़ सिंह, CO Traffic, पाली। 6. श्री ज्योति प्रकाश अरोडा, SJED, पाली (7597369186) 7. श्री चन्द्रप्रकाश जायसवाल, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, पाली (7976767327)

क्र. सं.	सेवा का नाम	नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की अधिकृत नफरी	वर्तमान में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक
1.	मुख्यालय	–	561
2.	संचार सेवा	228	
3.	वार्डन सेवा	1122	
4.	अग्निशमन सेवा	8360	
5.	प्रशिक्षण सेवा	11331	
6.	हताहत सेवा	475	
7.	बचाव	320	
8.	साल्वेज सेवा	90	
9.	पूर्ति सेवा	70	
10.	डिपो व परिवहन सेवा	56	
11.	कल्याण सेवा	560	
12.	शव निपटान सेवा	60	
	योग	22672	561

नोट :– रिवेम्पिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी 2009 के तहत नागरिक सुरक्षा की आपदा प्रबन्धन में अतिरिक्त भूमिका दिये जाने के उपरान्त, भारत सरकार द्वारा गठित कमेठी द्वारा उक्त 12 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के स्थान पर निम्नानुसार 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के गठन की सिफारिश की गयी है :–

1. मुख्यालय व संचार सेवा
2. वार्डन सेवा
3. हताहत सेवा
4. प्रशिक्षण सेवा
5. अग्निशमन सेवा
6. बचाव व साल्वेज सेवा
7. कल्याण सेवा

(इसके साथ ही उक्त 07 नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अतिरिक्त जन–जागरुकता कार्यक्रम (Public Awarness) एवं सामुदायिक क्षमतावर्द्धन (Community Capacity Building) जैसे अतिरिक्त कार्य भी नागरिक सुरक्षा के माध्यम से संचालित किये जा सकेंगे।)

5–मुख्यालय सेवा (Headquarter Service) – मुख्यालय व संचार सेवा के अन्तर्गत नियत्रंक (जिला कलक्टर) द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रदत शक्तियों, अधिकारों व नियमों के आधार पर नागरिक सुरक्षा की विभिन्न सेवाओं के लिए सम्बधित सरकारी तन्त्र को आवश्यक दिशा–निर्देश दिये जाकर आम जनता के मनोबल/जानमाल की क्षति को कम से कम करने के लिए कार्य विकेन्द्रित कर नियन्त्रित किया जाता है।

4.1 **नियंत्रक (Controller)** – राज्य सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा अधिनियम (27) 1968 की धारा 4 (1) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को जिले में नागरिक सुरक्षा का ''नियंत्रक'' नियुक्त किया गया है। नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के कार्य निम्नानुसार हैं :-

- जिले की नागरिक सुरक्षा की योजना और उसके कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखना।
- नागरिक सुरक्षा कार्यों के तहत महत्वपूर्ण मामलों में निर्णायक की भूमिका निभाना।
- विभिन्न उप–नियंत्रण केन्द्रों के बीच या निकटवर्ती क्षेत्रों से पारस्परिक सहायता प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होता है।
- स्थिति की पर नियंत्रण हेतु समस्त सेवा प्रभारियों व संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देनें एवं इसकी जानकारी उच्च–अधिकारियों को भेजने का कार्य।
- सभी विभागों के प्रमुखों को आपदा से निपटने हेतु सचेत करना तथा उन्हें विभागानुसार समुचित प्रबंधन का आदेश देना।

- आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना। आपदा स्थल पर स्वास्थ्य, राहत, जानकारी आदि के लिए अलग–अलग काउन्टर बनाना।
- आपदा स्थल के नियंत्रण कक्ष पर सभी सूचनाओं को इकट्ठा करवाना तथा राज्य नियंत्रण कक्ष तक सूचनाओं को भेजना।
- सभी विभागों में समन्वय करना।
- समय समय पर उच्च अधिकारियों तथा मीडिया हेतू सूचनाएं व आकडें तैयार रखवाना।
- बाहरी आक्रमण की स्थिति में हवाई हमले से होने वाले संभावित खतरे एवं उससे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम 2011 के तहत हवाई हमले से पहले, दौरान व बाद में किये जाने वाले उपाय/कार्य।

4.2 <u>मुख्यालय सेवा के कर्तव्य</u> :– नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम (पृष्ठ 97 से 111 तक) के अनुसार मुख्यालय सेवा के कर्तव्यों को निम्नानुसार तीन भागो मे बॉटा गया है:–

(क) <u>शान्तिकाल में कर्तव्य</u> :–

- नागरिक सुरक्षा संबंधी योजना पूर्ण रूप से तैयार करना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ ं के सभी उपकरण प्राप्त करना, सही रखना तथा उचित भण्डारण करना।
- नागरिक सुरक्षा की योजना के अनुसार नागरिको का प्रशिक्षित करना, सेवाओं को तैयार करना, उनका कार्य क्षैत्र निर्धारित करना।
- आवश्यक सेवाओं की आपातकालीन योजना बनाना।
- वाहनों की संख्या का आंकलन कर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- वाहनों के ढांचे मे परिवर्तन आवश्यकतानुसार चाहिए तो उसका प्रबन्ध करना।
- आपातकालीन समय मे डीजल,पैट्रोल ,ऑयल ग्रीस तथा स्पेयर पार्टस की मॉग बढ जाती है। उनकी आपूर्ति हेतु योजना बनाना एवं नियन्त्रण में रखना।
- रोशनी पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश की आवश्यकता होने पर प्रकाश प्रतिबन्ध आदेश जी.पी.सी.डी. के पृष्ठ सं. 174 से 184 तक निर्दिष्ट है, को लागू कराना एवं उसका कड़ाई से पालन करना।
- हवाई हमलों के दौरान स्थानीय आर्मी के एक प्रतिनिधि को नियन्त्रण कक्ष मे बैठाने की व्यवस्था कराना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति करना जी.पी.सी.डी में निर्दिष्टानुसार सेवा प्रभारियों को कार्य बॉटकर योजना बनाने मे मदद लेना।

(ख) चेतावनी से पूर्व (प्रिकॉशनरी स्टेज) के कर्तव्य :–

- नागरिक सुरक्षा उपायो का पूर्वालोकन करना।
- जनसाधारण को नागरिक सुरक्षा प्रबन्धो के संबधं मे विस्तार से जानकरी प्रदान करने की व्यवस्था करना।
- जनता को अग्निशमन हेतु प्रशिक्षित करना।
- नागरिक सुरक्षा जन आवश्यकता हेतु निर्धारित मकानो के अधिग्रहण करने की सूचना देकर कार्यवाही करना।
- एडवाइजरी कमेटी (को–ओर्डीनेशन कमेटी)/नागरिक सुरक्षा सेवा प्रभारी अधिकारियों से विचार विमर्श कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा आवश्यक सेवाओं वाले भवनों/कार्यालयों को सुरक्षित करवाना।
- टेलीफोन विभाग को नागरिक सुरक्षा के लिए अतिरिक्त टेलीफोन की मांग देना।
- शान्ति काल मे किए गए सभी प्रयासो को मूर्तरूप मे तैयार रखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ के लिए स्थानीय स्वयंसेवी संस्थाओं से आवश्यक सहयोग हेतु बैठक करना।
- नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुव्यवस्थित रखवाना।
- आवश्यकता पड़ने पर पास वाले नागरिक सुरक्षा नगर से सहायता लेने की योजना बनाना।
- निष्क्रमण योजना की पूर्ण तैयारी करना।
- नागरिक सुरक्षा भण्डार की समुचित व्यवस्था हेतु राज्य सरकार से उचित बजट प्राप्त करना।
- समयानुसार रिपोर्ट भिजवाना।

(क) युद्व काल में कर्तव्य :–

- समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयासों को पूर्ण रूप से कार्यशील बनाना।
- सभी वांछित वाहन, मकान आदि का अधिग्रहण करना, सभी नागरिक सुरक्षा सेवाओं के आपसी तालमेल को देखना।
- नागरिक सुरक्षा सेवाओ को वांछित सामान उपलब्ध कराते रहना एवं उनका भण्डारण करना।
- पशु पक्षी आदि की सुरक्षा व्यवस्था निश्चित कराना।
- सभी नागरिक सुरक्षा उपायो का समय–समय पर निरीक्षण करते रहना।
- डीजल पैट्रोल ऑयल वाहन के पुर्जे आदि का भण्डारण सुरक्षित रखना।

- प्रकाश व्यवस्था की जनता में जानकारी देते हुए उसकी समय व्यवस्था को कडाई से लागे कराना।
- जन कार्यो हेतु वांछित भवन, कार्यालयो की समुचित सुरक्षा कराना।
- शैडो कन्ट्रोल रूम में आवश्यक साधनो की उचित व्यवस्था करना।
- समय–समय पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त करना एवं राज्य सरकार को भेजना।

5. संचार सेवा (Communication Service)

5.1 **चेतावनी प्रणाली** :– नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली को दो भागों में विभक्त किया गया है।

5.2 **नियत्रण कक्ष** – नागरिक सुरक्षा की विभिन्न गतिविधियों/कार्यक्लापों का नियंत्रण करने के लिए, नागरिक सुरक्षा सेवाओं का आपसी सांमजस्य बनाये रखने के लिए तथा युद्व संबंधी सूचनाऐं एकत्रित कर उच्चाधिकारियों को सूचित करने के लिए, नियन्त्रक (जिला कलक्टर) एवं अन्य नागरिक सुरक्षा सेवाओं के ऑफिसर कमान्डिंग के साथ बैठ कर युद्व/आपदा की स्थिति की समीक्षा और उनको कार्य रूप देने के लिए इत्यादि हेतु चिन्हित स्थान में ''**नियंत्रण कक्ष**'' स्थापित किया जाता है, जहां से समस्त नागरिक सुरक्षा गतिविधियों का संचालन किया जाता है। इसके अलावा नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम के आधार पर जिले में नागरिक सुरक्षा उप नियंत्रण केन्द्रों की स्थापन की जाती है।

5.3 **चेतावनी प्रणाली** – नागरिक सुरक्षा प्रयासों को सही रूप से क्रियान्वित करने के लिए चेतावनी प्रणाली का सुव्यवस्थित होना, खतरे के उद्गम स्थल में चेतावनी की प्राप्ति तथा नियंत्रण कक्ष से नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों एवं जनता में आवश्यक चेतावनी का प्रसारण करना, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके अभाव मे समस्त नागरिक सुरक्षा प्रयास एवं प्रयत्न चाहे वे कितने ही सुदृढ, समुचित एवं सुव्यवस्थित क्यों न हो, निष्प्रभावी हो जायेगें। चेतावनी प्रणाली प्रक्रिया के माध्यम से बिना समय नष्ट किये सूचना को संबधित सेवाओं, स्वयंसेवकों तथा आमजन तक पहुचाया जाता है। चेतावनी प्रणाली को दो प्रकार की होती हैं :–

5.3(क) **बाह्य चेतावनी प्रणाली** (**External Warning System**):– चेतावनी प्रणाली द्वारा बिना समय नष्ट किये जैसे ही शत्रु के बम वर्षक विमान हमारी वायु सेनाओं के राडारों पर नजर आते हैं, उनकी सूचना वायु सेना के नियन्त्रण कक्ष ''एयर डिफेन्स डाइरेक्टिव सेन्टर, (ADDC)'' से नागरिक सुरक्षा ''रीजनल सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर'' (RCDCC)'' एवं आगे ''सैकण्डरी सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर, (SCDCC)/टाउन सिविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर, (TCDCC)'' को दी जाती है। पाली जिला अभी तक उक्त प्रणाली से नहीं जुड़ा है। इसके लिए राज्य स्तर पर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

HF Radio Links

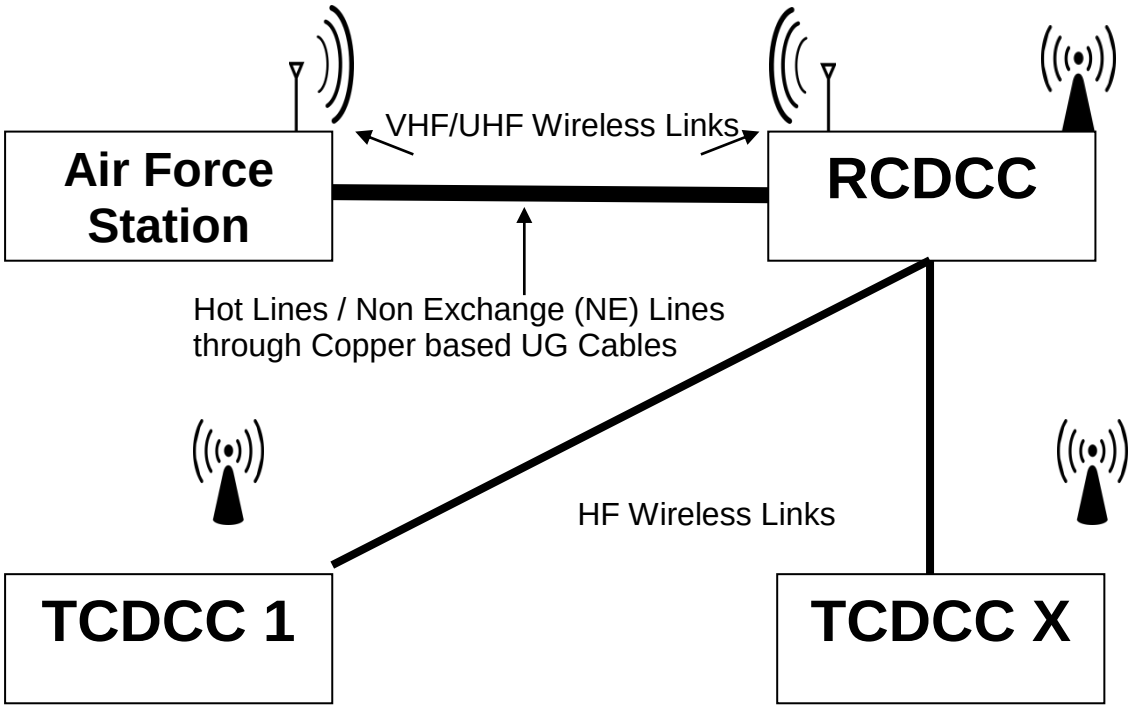

5.3(ख) **<u>आन्तरिक चेतावनी प्रणाली</u>** – बाह्य चेतावनी प्रणाली से प्राप्त सूचनाऐं स्थानीय आमजन तक देने की विधि के लिए समस्त जिला नागरिक सुरक्षा नियंत्रण केन्द्रों पर ARP यंत्र (Air Raid Precausion Instrument) किये जाते हैं। इस प्रणाली से दो प्रकार से सूचनाए प्रसारित की जाती है।

(i) टेलीफोन

(ii) विद्युत सायरन

<u>Internal Communication Schema</u>

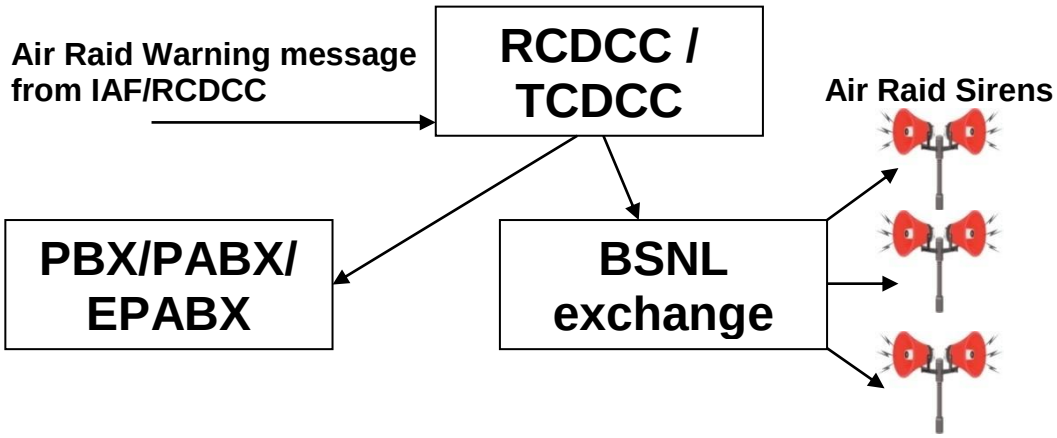

Message to Civil Authorities as per Emergency Communication Plan

- District Collector

- Police authorities
- Fire services authorities
- Emergency services authorities
- Hospital authorities etc and others

5.4 **<u>नागरिक सुरक्षा में चेतावनी प्रणाली के साधन</u>** :– समय–समय पर भारत सरकार की संचार नीति राज्य सरकार को प्रेषित कर नागरिक सुरक्षा में संचार साधन उलब्ध कराये जाते है। राज्य सरकार नीति अनुरूप संचार साधानों हेतु संचार निगम लिमिटेड में उपलब्ध नवीन तकनीक के साधनों की जानकारी एवं साधनों की उपलब्धता तथा उन पर होने वाले व्यय को मध्य नजर रखते हुए, अपने नागरिक सुरक्षा नगरों मे विभिन्न साधन उपलब्ध कराती है, जो निम्नानुसार हैः–

टेलीफोन :–

- बाहरी संचार व्यवस्था के तहत वायु सेना नियंत्रण कक्ष को रीजनल सिंविल डिफेन्स कन्ट्रोल सेन्टर तक एक टेलीफोन नॉन एक्सचैन्ज लाईन से जोडा जाता है।
- आर.सी.डी.सी.सी से टी.सी.डी.सी.सी. तक व आगे एस.सी.डी.सी.सी. तक चेतावनी देने हेतु टेलीफोन की एन.ई. लाईन द्वारा विशेष सुविधा 'कान्फ्रेस कॉल फेसेलिटि' प्रदत की जाती है।
- टेलीफोन द्वारा ही शहर में विशेष अधिकारियों/वार्डन पोस्टों, कार्यालयों को एक साथ चेतावनी सूचना देने की सुविधा ''साइमलटेनियस ब्रॉड कास्ट फैसेलिटी'' द्वारा प्रदत कराई जाती है।

वायरलैस :– नागरिक सुरक्षा संचार व्यवस्था को सुदृढ बनाये रखने के लिए भारत सरकार ने राज्यों में नागरिक सुरक्षा नेट पर वायरलैस उपलब्ध कराये हैं ताकि टेलीफोन लाईन में खराबी आने पर वायरलैस से सूचना दी जा सके और निर्धारित कार्य समय पर पूर्ण हो, सुनिश्चित किया जा सके।

मोटरसाईकिल :– आउट डोर संदेश स्थानीय स्तर पर भिजवाने हेतु उपरोक्त दोनो व्यवस्थायें ठप्प होने की स्थिति में नियंत्रण कक्ष से मोटर साईकिल द्वारा संदेश भेजे जाने की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। आपात समय में परिवहन विभाग से आवश्यकतानुसार वाहन की मांग की जाती है।

5.5 **चेतावनी प्रणाली के संदेश –** नागरिक सुरक्षा में समय की बचत के लिए एवं सदेश की एक रूपता बनाये रखने के लिए संचार साधनो पर सीमित शब्दो के संदेश प्रसारित किये जाते हैं। ये निम्नानुसार है :–

हवाई हमला चेतावनी संदेश	कार्यवाही	किसके लिए होगा
''पीला''	तैयारी संदेश	केवल संबधित अधिकारियों को दिया जाना है।
''लाल''	खतरे का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
''हरा''	खतरा टलने का संदेश	आमजन एवं सभी अधिकारियों को
''सफेद''	हवाई हमला चेतावनी संदेशों को निरस्त करना	जिन्हें पीला संदेश की सूचना दी गयी उनको दी जानी है

6. वार्डन सेवा (Warden Service)

6.1 **वार्डन सेवा संगठन** – वार्डन सेवा नागरिक सुरक्षा की रीढ की हड्डी का कार्य करती है। जिले में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों में से योग्यता/वरिष्ठता के आधार पर उसी क्षेत्र के निवासी जो शारीरिक व मानसिक रुप से फिट/स्वस्थ हो व जिनके विरुद्ध किसी भी माननीय न्यायालय में अपराधिक मामले दर्ज/विचाराधीन नहीं हों, को संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत प्रावधानानुसार वार्डनों (अवैतनिक ऑनरेरी पदाधिकारी) का चयन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा संगठन में उपलब्ध स्वयंसेवकों में से ही वरिष्ठता/योग्यता के आधार पर वार्डनों का चयन प्रथम 03 वर्ष या उसकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता पूर्ण होने (जो भी पहले हो) तक संबंधित नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा द्वारा किया जाता है। उक्त वार्डनों के कार्य मूल्यांकन के आधार पर, यदि नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा उचित समझे तो उनकी नागरिक सुरक्षा सदस्यता का अगले 03 वर्ष के लिए नवीनीकरण करते हुए, उसे पुनः नागरिक सुरक्षा वार्डन नियुक्त कर सकता है। युद्ध/आपदा की स्थिति में नुकसान को कम से कम करने, स्थानीय लोगों को नागरिक सुरक्षा व आपदा प्रबन्धन कार्यों में जागरुक करने व उन्हें नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक बनने के लिए प्रेरित करने, उनका मनोबल बनाये रखने एवं क्षेत्र में नागरिक सुरक्षा कार्यो को प्रभावी बनाये रखने इत्यादि को देखते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968, नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त, नागरिक सुरक्षा कम्पेडियम एवं रिवेंपिंग ऑफ सिविल डिफेन्स पॉलिसी के तहत भारत सरकार द्वारा गठित सलाहकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर निम्नानुसार वार्डनों को मनोनयन किया जाता है :–

क.सं.	वार्डन पदनाम	जनसंख्या/अन्य आधार	
		नगरीय क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
1.	मुख्य वार्डन	जिलास्तर पर 01	
2.	अतिरिक्त मुख्य वार्डन		
3.	उप मुख्य वार्डन	जिलास्तर पर 02 (01 उप मुख्य वार्डन शहरी क्षेत्र व 01 उप मुख्य वार्डन ग्रामीण क्षेत्र)	
4.	डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
5.	डिप्टी डिवीजनल वार्डन	02 लाख जनसंख्या पर 01	उपखण्ड स्तर पर 01
6.	पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01
7.	डिप्टी पोस्ट वार्डन	20000 जनसंख्या पर 01	05 ग्राम पंचायतों (आवश्यकतानुसार) पर 01
8.	सेक्टर वार्डन	4000 जनसंख्या पर 02	प्रति ग्राम पंचायत 02
उक्त वार्डनों में से आवश्यकतानुसार प्रति 50000 की जनसंख्या के आधार पर उपलब्ध वार्डनों में से ही 01 घटना अधिकारी मनोनित किया जा सकेगा।			

6.2 **<u>वार्डन के कर्तव्य</u>** – वार्डन अपने क्षैत्र का परिचित, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। वार्डन के कर्तव्य व कार्यो के मध्येनजर सोच समझ कर प्रभावशाली व्यक्ति का चयन वार्डन के लिए किया जाता है। वार्डन अपने व्यक्तिगत के प्रभाव से स्थानीय लोगों का सहयोग प्राप्त करता है। वार्डन का कार्य क्षेत्र नियमानुसार है :–

हवाई हमले/आपदा से पहले काय	हवाई हमले/आपदा के दौरान के कार्य	हवाई हमले/आपदा के बाद कार्य
वार्डन अपने क्षेत्र की दिन के समय के लिए एवं रात्रि के समय के लिए सम्पूर्ण जानकरी रखता है। वार्डन अपने क्षेत्र के सभी परिवार जन की सम्पूर्ण जानकारी रखता है तथा एक हाउस होल्ड, रजिस्टर तैयार करता है। वार्डन आपदा के समय नागरिक सुरक्षा नागरिक सुरक्षा उपायो के लिए विभिन्न स्थानो की जानकारी रखते हुए उनको वार्डन डायरी में लिखकर रिकॉर्ड तैयार रखता है। वार्डन अपने क्षेत्र के लिए नागरिक सुरक्षा सेवाओ में स्वयं सेवक प्रशिक्षित करने के लिए क्षेत्र के लोगो को प्ररित करता है। वार्डन अपने अधीन गृह अग्निशमन दल के लिए स्वयं सेवको का चयन कर उनको नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षिण लेने के लिए प्रेरित करता है, नामों की सूची बनाकर प्रशिक्षिण अधिकारी को देता हैं। वार्डन आमजन को किसी भी आपदा से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा उपायो की जानकारी विस्तृत से समय–समय पर देता है। वार्डन अपने क्षेत्र में प्रशासन की सहायता पहुंचने से पूर्व कार्य प्रारम्भ करने हेतु ''सैल्फ हैल्प पार्टी'' तैयार करता हैं।	वार्डन नियन्त्रण कक्ष से सूचना पर अपने क्षेत्र मे स्थित वार्डन पोस्ट पर अपनी उपस्थिति देता है। वार्डन अपने साज सामान से लैस होकर नागरिको को अपने क्षेत्र में सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह सहायको की मदद से देता है। वार्डन अपने क्षेत्र में साइरन नही सुनाई दिये जाने की स्थिति में अन्य साधनो से तदनुसार जानकारी देने का काम करता है। घटना स्थल पर नियन्त्रण के दौरान कार्य कर रहे विभिन्न दलों को कार्य क्षेत्र की जानकारी देने का कार्य, अधिकारियों व आमजन के मध्य सभी उचित सम्पर्क रखने का कार्य करते हैं।	वार्डन हवाई हमले के तुरन्त बाद क्षेत्र का दौरा कर विस्तृत जानकरी लेता हैं। वार्डन अपने क्षेत्र में उपलब्ध/कार्यरत नागरिक सुरक्षा की राहत सेवाओं/अन्य बचाव दलों की जानकारी लेता है। वार्डन घटना के बाद आमजन में फैले आंतक को रोकने व स्थानीय लोगों में आश्वासन व धैर्य बनाये रखता है। वार्डन अपने क्षेत्र की आवश्यक सेवाओं में आई रूकावटों को यथा संभव शीघ्र चालू कराने कली कार्यवाही करता है। वार्डन निंरतर नियन्त्रण कक्ष के सम्पर्क में रहता है।

7. <u>अग्निशमन सेवा (Fire Service)</u> – हवाई हमलों के दौरान अग्नि दुघर्टनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति से निपटनें के लिए निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा का गठन किया गया है।

7.1 गृह अग्निशमन दल (House Fire Party) – आग लगने की स्थिति में आग को प्रारंभिक स्थिति में ही नियंत्रण किये जाने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग की आवश्यकता होती है। इसके लिए नागरिक सुरक्षा गृह अग्निशमन दलों का गठन किये जाने का प्रावधान है जिसमें प्रति 1000 जनसंख्या पर एक 04 सदस्यीय नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के गृह अग्निशमन दल का गठन किया जावेगा, जो आग को बढ़ने से रोकने में सहायक होगा। ये दल उस क्षेत्र के नागरिक सुरक्षा वार्डन के अधीन कार्य करेंगे। इसके लिए उनको आवश्यकतानुसार अग्निशामक उपकरण उपलब्ध करवाये जावेंगे।

7.2 **<u>ट्रेलर पंप पार्टी</u>** – छोटी जगह पर अग्निशमन कार्य हेतु नागरिक सुरक्षा में प्रति 50,000 की जनसंख्या के आधार पर एक 09 सदस्यीय ट्रेलर पम्प पार्टी का गठन किया जावेगा, जिसमें निम्नानुसार नागरिक सुरक्षा के 09 स्वयंसेवक सदस्य होते हैं – लीडर – 01, फायरमैन – 06, वाहन चालक – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि।

7.3 नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा – बडी आग पर नियन्त्रण के लिए जिले में नागरिक सुरक्षा अग्निशमन सेवा के साथ ही नगरीय निकाय की फायर–बिग्रेड कार्यरत हैं।

8. <u>प्रशिक्षण सेवा (Training Service)</u> – किसी भी प्रकार के कार्य योजना की सफलता क्रियात्मक रूप तभी ले सकती है जब उन योजनाओ पर कार्य करने वाले व्यक्ति विधिवत प्रशिक्षित/जानकारी प्राप्त किये हुए हों। नागरिक सुरक्षा कार्यो में कुछ कार्य तकनीकी आधार पर सम्पादित किये जाते हैं, जैसे अग्निशमन, बचाव कार्य, घटना स्थल पर सर्वेक्षण दल का कार्य, प्राथमिक चिकित्सा दल का कार्य, संचार इत्यादि। नागरिक सुरक्षा सेवाओं के अन्तर्गत जनता के हित में जनता के द्वारा होने वाले कार्य में आपसी समन्वय, अनुशासन एवं राष्ट्रीय भावना की आवश्यकता होती है। नागरिक सुरक्षा में संबंधित क्षेत्र इच्छुक सेवा भावी एवं कुछ तकनीकी जानकार व्यक्तियों का चयन कर उन्हें नागरिक सुरक्षा का बुनियादी व सेवा प्रशिक्षण दिया जाता है।

8.1 <u>नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण के उद्धेश्य</u>

- नागरिक सुरक्षा सेवाओं के लिए आम जन मे सही सेवाभावी व्यक्तियों का चयन करना।
- चयनित आम जन को शान्तिकाल एवं युद्व के समय नागरिक सुरक्षा कार्यो का विस्तृत प्रशिक्षण देकर स्वयंसेवक चिन्हित करना।
- स्वयंसेवको को उनके कर्तव्यों व जिम्मेदारियों की जानकारी देना।

- स्वयंसेवकों द्वारा आम जनता मे अपेक्षित अनुशासन, संगठन की भावना उन्पन्न कराना ताकि नागरिक, नागरिक–सुरक्षा के लिए सदस्य के रूप मे सामंजस्य से काम कर सकें।
- प्रशिक्षण कार्यो को भाान्ति काल में उपयोगी बनाना ताकि आमजन अच्छे नागरिक के साथ–साथ नागरिक सुरक्षा के लिए स्वयंसेवक भी बन सके।
- स्वयंसेवकों को कर्तव्य निभाने के लिए अभ्यास कराना, तकनीकी जानकारी देना एवं नागरिक सुरक्षा की प्रक्रिया समझाना।
- स्वयंसेवकों की सहायता से नागरिकों में जन–जन तक स्वयं की सुरक्षा की जानकारी फैलाना।

8.2 **<u>प्रशिक्षण की नीति</u>**

जिला/नागरिक सुरक्षा ईकाइ स्तर पर	राज्य स्तर पर	राष्ट्रीय स्तर पर
बुनियादी प्रशिक्षण सेवा प्रशिक्षण सयुक्त प्रशिक्षण	• नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान, राज. जयपुर • हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, राज. जयपुर	• राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय/राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर • केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागरिक सुरक्षा व गृह रक्षा, बैंगलोर • राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM), दिल्ली
नॉट :– इसके साथ ही पुनश्चर्या प्रशिक्षण भी प्रतिपादित होना आवश्यक है ताकि नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक पहले प्राप्त प्रशिक्षण को भूले नहीं व नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबन्धन संबंधित कार्यों का अपडेशन हो सके।		

9. <u>हताहत (चिकित्सा) सेवा (Casualty Service)</u> – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में जनता का मनोबल बनाये रखने के लिए हताहतों को तुरन्त चिकित्सा सहायता के तहत प्राथमिक उपचार देना, उन्हें नजदीकी अस्पताल भिजवाना, उनके परिवार को जानकारी देना व हताहतों का मनोबल बनाये रखना अतिआवश्यक है। इसके नागरिक सुरक्षा संगठन में चिकित्सा सेवा (हताहत सेवा) का गठन किया गया है। नागरिक सुरक्षा हताहत सेवा निम्नानुसार कार्य करती है :–

9.1 **<u>स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट</u>** – नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रथम दो लाख के लिए 20,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से व दो लाख से अधिक आबादी की स्थिति में प्रति 40,000 जनसंख्या पर 01 पोस्ट के हिसाब से स्थाई प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट बनायी जावेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :– डॉक्टर – 01, नर्स – 01, नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की 04 सदस्यीय प्राथमिक उपचार दल – 03, लिपिक – 01, सफाईकर्मी – 01 एवं संदेशवाहक – 01 इत्यादि होगा।

9.2 **प्राथमिक चिकित्सा दल (नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक) –** नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार तीन दल प्रति स्थाई फस्ट एड पोस्ट के आधार पर (एक दल प्रति शिफ्ट हेतु) गठन किया जाता है। नागरिक सुरक्षा प्राथमिक उपचार दल के सदस्य – लीडर – 01, प्राथमिक उपचार कर्ता – 03, वाहन चालक – 01 मय एम्बूलेंस के गठित किया जावेगा।

9.3 **मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट :–** नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 06 लाख की जनसंख्या के आधार/आवश्यकतानुसार 01 मोबाईल प्राथमिक चिकित्सा पोस्ट गठित की जा सकेंगी। उक्तानुसार प्रति पोस्ट पर प्रति पारी के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा नामित निम्नानुसार निर्धारित स्टाफ निम्नानुसार होगा :– डॉक्टर – 01, नर्स – 01, प्राथमिक उपचारकर्ता – 01, वाहन चालक – 01 एवं सफाईकर्मी – 01 इत्यादि होगा।

9.4 **अस्पताल सेवायें** :–आपातकाल में घायलों को सही समय पर उच्चस्तरीय इलाज देना आवश्यक हो जाता है। नागरिक सुरक्षा सामान्य सिद्धान्त 2003 के अनुसार प्रति 750 नागरिक सुरक्षा व्यक्ति के लिए एक बिस्तर के अनुसार योजना बनायी जावेगी।

10. बचाव सेवा (Rescue Service) – मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं व हवाई हमलों की स्थिति में क्षतिग्रस्त/ध्वस्त हुए भवनों में फंसे/मलबे में दबे हताहतों को खोज व बचाव के तरीकों से बाहर निकालनें तथा उनमें से कीमती सामान को निकाल कर सुरक्षित स्थानों पर रखने इत्यादि कार्य किया जाता हैं।

10.1 **बचाव कार्य –** हवाई हमले एवं अन्य आपदाओं के दौरान क्षतिग्रस्त भवनों में बचाव कार्य उक्त भवनों तकनीकि (भवनों की बनावट से सम्बधित) पर निर्भर है। उक्त भवनों से बचाव कार्यों के दौरान राज्य का सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास निर्माण से संबंधित इंजिनियर, लेबर एवं भारी मशीनरी की सेवायें अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अतः नागरिक सुरक्षा बचाव सेवा के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के जिले में उपलब्ध अधीक्षण/अधिशाषी अभियंता को इस सेवा को प्रभारी बनाया जाना चाहिए। नागरिक सुरक्षा बचाव दल के स्वयंसेवक सदस्य सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों की देख रेख में प्रभावी बचाव कार्यों को करने में सक्षम हैं।

10.2 **बचाव दल का गठन –** जिले में बाहरी बचाव दलों के घटना स्थल पर पंहुचने से पूर्व स्थानीय स्तर पर किये जाने वाले खोज व बचाव कार्यों के लिए, **प्र**ति **5**0,000 की जनसख्या के आधार पर आपदा व बचाव कार्यों में प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के एक 08

सदस्यीय बचाव दल का गठन किया जाता है, जिसमें निम्नानुसार सदस्य होंगे – लीडर –01, बचाव कर्ता –06, वाहन चालक – 01 मय वाहन इत्यादि।

11. <u>निस्तारण सेवा (Salvage Service)</u> – नागरिक सुरक्षा का उद्वेश्य जान माल के नुकसान को कम से कम होने देना है। इसमें सफलता तभी मिलेगी जब दुर्घटना के बाद लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित रख लिया जावे।

हवाई हमले/आपदा की स्थिति में, सूचना के बाद कई परिवार अपने घरों को बन्द कर अन्यत्र चले जाते हैं। हवाई हमले/आपदाओं की स्थिति में से कई मकान ध्वस्त हो जाते हैं व मकानों में रहने वाले घायल हो जाते हैं। घायलों को अस्पताल भेज दिये जाते हैं। कई मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना क्षेत्र के परिवारों के रिश्तेदार समय की नाजुकता के कारण दुर्घटना स्थल पर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में मकान बन्द व सूने रहते हैं। उन्हे बिना सुरक्षा के छोडने से असामाजिक तत्वों को अपना कार्य करने का मौका मिल सकता है। नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा आपदा के समय इस समस्या से निपटने के लिए पूर्व में ही प्रबन्धन करने के लिए, निस्तारण सेवा का गठन किया जाता है। इसका मुख्य कार्य नामांकित सदस्यों की सहायता से लावारिश सामान को अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखवाना है।

11.1 **<u>निस्तारण सेवा के कर्तव्य</u>** :– हवाई हमले तथा आपदा/विपदा एवं घटना/दुर्घटना की स्थिति में क्षतिग्रस्त भवनों में दबे/लावारिस सामान/वस्तुओं को उपयोगी जानकर संगठन के दल द्वारा जिला प्रशासन की अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जावेगा। निस्तारण सेवा के मुख्य कर्तव्य निम्नानुसार हैं :–

- सूने, ध्वस्त, क्षतिग्रस्त मकान जिनके मालिक मौजूद नहीं हैं, उन मकानों में से कीमती, उपयोगी वस्तुओं को सुरक्षित निकालना।
- अभिरक्षित वस्तुओं का उचित सुरक्षित भण्डारण करना।
- प्राप्त की गई वस्तुओं का स्पष्ट लेखा जोखा रखना।
- मालिक/वारिस की उचित पहचान के बाद नियमानुसार वापिस सामान को सुपुर्द करना।

नोट :– घटना स्थल से प्राप्त कीमती सामान को जिला प्रशासन द्वारा राजकीय कोष या अन्यत्र अभिरक्षा में रखे जाने की समुचित व्यवस्था की जावेगी।

12. **पूर्ति सेवा (Supply Service) –** नागरिक सुरक्षा संगठन की क्रियाऐं, प्रक्रियाऐं आपातकालीन समय मे कई दिशाओ में भिन्न–भिन्न कार्यो के लिए होती है, जैसे –आगजनी, मलबे मे फंसे व्यक्त्यिों को निकालना, घायलों का प्राथमिक उपचार करना, हवाई हमले की सूचनाऐं देना, बेघर लोगों को राहत प्रदान करना आदि। इन कार्यो के लिए विभिन्न तकनीकि/साधारण सामान आदि की आवश्यकता होती है, जिनके प्रबन्धन की योजना पहले

से ही तैयार करना आवश्यक है। इसके साथ ही बेघर लोगों के लिए स्थापित आश्रय स्थलों पर खाने–पीने के सामान की भी पूर्ति करना होता है। इसके लिए जिले में जिला रसद अधिकारी को नागरिक सुरक्षा पूर्ति सेवा का प्रभारी बनाया जाना उचित होगा।

13. डिपो एवं परिवहन सेवा (Depot & Transport Service)

13.1 **डिपो सेवा** – हवाई हमले/आपदा व विपदा की स्थिति में घटना स्थल पर नियंत्रण व तत्काल नागरिक सुरक्षा की सेवाओं को भेजे जाने के लिए उक्त सेवाओं को मय आवश्यक उपकरण व वाहनों के किसी एक निश्चित स्थान पर एकत्रित रखना, जहां से नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा के निर्देशानुसार घटना स्थलों पर भिजवाना होता है, इसके लिए प्रति 06 लाख की जनसंख्या/प्रति उपखण्ड स्तर पर 01 नागरिक सुरक्षा डिपो बनाया जावेगा। डिपो में नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक तीन पारियों में उपलब्ध रहते है, जहां उन्हें आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वयंसेवकों के लिए सेवा वार उपकरण रखने की पर्याप्त व्यवस्था कराई जाती है। स्वयंसेवकों के मनोरजंन के लिए कुछ साधनों की व्यवस्था कराई जाती है। साथ ही स्वयंसेवकों को घटना स्थल तक लाने ने जाने के लिए समुचित वाहन डिपो में रहते हैं। डिपो के स्थान का चयन करते समय यह ध्यान मे रखा जाता है कि दुश्मन राष्ट्र के हमले के लिए टारगेट, आपदा से प्रभावित क्षेत्र, महत्वपूर्ण संस्थाओं के आस–पास डिपो स्थापित नहीं किया जावे।

डिपो मे उपलब्ध सेवायें – घटना पर तुरन्त नियन्त्रण करने हेतु विभिन्न कार्यो के दक्ष स्वयं सेवक सेवा वार डिपो में तीन पारी में उपलब्ध रहते है। डिपो में रहने वाली सेवाऐ निम्नानुसार है।

- प्राथमिक चिकित्सा दल मय वाहन
- बचाव दल मय वाहन
- अग्निशमन सेवा
- मोबाइल कैन्टीन सेवा
- मृतक निवारण दल मय वाहन
- साल्वेज टीम मय वाहन
- मोबाइल फर्स्ट एड पोस्ट मय वाहन
- स्थाई प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र के वाहन मय वाहन चालक
- घटना नियन्त्रण अधिकारी
- डिपो स्टॉफ
- यातायात सेवा का स्टॉफ
- सभी सेवाओं के लिए मैसिंग स्टॉफ

13.2 <u>ट्रान्सपोर्ट सेवा</u> – नागरिक सुरक्षा सेवाओं की कार्य कुशलता एवं गति युद्व/आपदा के दौरान स्वयंसेवको को तुरन्त घटना स्थल पर जनता की सहायता के लिए पहुंचने पर निर्भर करती है। यह कार्य उचित यातायात साधनों से संभव है। नागरिक सुरक्षा में ट्रान्सपोर्ट सेवा का गठन नागरिक सुरक्षा सेवाओं को समय पर वांछित भरोसेमन्द वाहन उपलब्ध कराने हेतु किया गया है। ट्रान्सपोर्ट सेवा के मुख्य कार्य :–

- नागरिक सुरक्षा के कार्यो हेतु विभिन्न प्रकार के वांछित वाहन उपलब्ध कराना।
- सभी उपलब्ध वाहनों को दुरूस्त रखना।
- सभी वाहनों में ऑयल, डीजल की नियन्त्रित व्यवस्था रखना।
- सभी वाहनों का नियमानुसार बीमा करवाना।
- वाहनों की मरम्मत का कार्य सही समय पर करवाना।
- वाहनों के आवगमन का रिकॉर्ड रखना।
- सेवाओं की आवश्यकतानुसार यदि वांछित वाहन उपलब्ध नही है तो नियमानुसार ढॉचे में अस्थाई परिवर्तन करना।
- इस प्रकार के वाहन प्राप्त करना जिनके मालिक अधिक से अधिक राष्ट्र सेवा हेतु योगदान देने को तत्पर है।

14. <u>मृतक शव निपटान सेवा (Corpse Disposal Service)</u> – हवाई हमलों/आपदाओं में कभी–कभी दुर्घटना स्थल पर अधिक संख्या में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। घटना के समय व्यक्ति अपने बचाव के लिए चिन्तित रहते हैं व मृतकों को छोड़ अन्यत्र चले जाते हैं। जिला प्रशासन व नागरिक सुरक्षा सेवाओं के सामने मृतकों के मिलने के दो कारण होते हैं–

- सीधे दुर्घटना की चपेट मे सम्पूर्ण क्षेत्र का आ जाना।
- घटना के बाद व्यक्तियों का अपने बचाव के लिए दुर्घटना स्थल से सब कुछ छोड़कर चले जाना। इससे दुर्घटना स्थल के आसपास बच्चे, अपाहिज व्यक्ति, अशक्त वृद्व रह जाते हैं। ऐसी स्थिति मे जनता का मनोबल कम होने की पूर्ण संभावनायें रहती हैं और महामारी फैलने का अन्देशा रहता है।

मृतकों की पहचान एक बड़ी समस्या है, जिसके मुख्य कारण शरीर का विकृत होना, शरीर जल जाना, कुचल जाना, मलवे में दबा होना, बन्द मकान में अधिक समय तक रह जाना, मृतक का अन्य क्षेत्र से आकर वहां रहना आदि। ऐसे में सभी मृतकों की पहचान न होने के बाद भी अपने प्रयासों से धर्म निर्धारण कर धर्मानुसार अन्तिम संस्कार करना इस सेवा का मुख्य कार्य है। उक्त स्थिति से निपटने के लिए नागरिक सुरक्षा संगठन में घटना स्थल पर मृतकों के निवारण हेतु ''मृतक निवारण सेवा'' गठित की गई है। इस सेवा के कर्तव्य निम्नानुसार है :–

- घटना स्थल पर पूछताछ कर मृतकों की तत्काल पहचान करने का प्रयास करना।

- मृतकों का पंचनामा तैयार करवाना।
- प्रत्येक मृतक शरीर से मूल्यवान/पहचान के लिए आवश्यक वस्तु निकालकर उनका रिकॉर्ड रखते हुए संभाल कर रखना।
- प्रत्येक मृतक जिनके वारिस नहीं मिले की फोटो रिकॉर्ड मे रखना।
- मृतक की पहचान के लिए निम्नानुसार बिन्दुसार रिपोर्ट रखना :–

(अ) शव किस स्थान से प्राप्त हुआ।
(ब) शव के वस्त्र का विवरण।
(स) मृतक के लिंग, आयु, शारीरिक पहचान के चिन्ह, मृतक का रंग, आंखे का रंग, ऊंचाई आदि का विवरण।
(य) मृतक की ऊगलियों की छाप का रिकॉर्ड रखना।
(र) जिन मृतकों की पहचान नहीं की जा सकती है, के धर्म निर्धारण का विवरण।

15. <u>कल्याण सेवा(Welfare Service)</u> – आपदा/विपदाओं एवं हवाई हमले की स्थिति में प्रभावित लोगों को आवश्यक सहायता समय पर नहीं पंहुचने की स्थिति में आमजन अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगता है और जनता के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। लोग बेघर हो जाते हैं व उनका अपना सब कुछ नष्ट हो जाता है। परिवार के सदस्य बिछुड़ जाते हैं। इस प्रकार की महाविपतियों में पूरे समुदाय के जीवन को सामान्य बनाना ही प्रमुख कार्य रहता हैं ताकि आम जनता का मनोबल बना रहे। नागरिक सुरक्षा संगठन में इन कार्यो हेतु कल्याण सेवा का गठन किया गया है जिसके निम्नानुसार मुख्य कार्य है :–

- **सूचनाऐं एकत्रित करना** – प्रभावित लोगों की सही सूचना उनके संबंधियों देना अथवा आमजन में उपलब्ध कराई गई प्रशासनिक व्यवस्था की सूचना देना इत्यादि कार्य जिससे आमजन का मनोबल बना रहे।
- **बेघर लोगो का प्रबन्ध** – आश्रय स्थलों की स्थापना कर बेघर लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके भोजन वस्त्रादि की व्यवस्था करना।
- **निष्क्रमण की स्थिति** – ऐसी स्थिति में जहां खतरे की दृष्टि से अधिक असुरक्षा है उस क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थान पर व्यवस्थित तरीके से ले जाने के लिए तथा मार्ग में गन्तव्य तक भोजन, पानी, औषधी, वस्त्र आदि तथा आवाजाही की सहायता प्रदान करना।

15.1 <u>कल्याण सेवा के कार्य</u>

(अ) सूचना एवं प्रसार :– सूचना केन्द्र को पूर्ण रूप से सूचित बनाये रखने के लिए स्थानीय पुलिस विभाग, थाने, चौकियों, अस्तपताल, वार्डन पोस्ट, फर्स्ट एड पोस्ट को

निर्देश जारी कर संबधित क्षेत्र की पूर्ण जानकारी सुचना केन्द्र में उपलब्ध रखी जावेगी। सभी सूचना केन्द्र अपनी सूचनाऐं मुख्य सूचना केन्द्र को देंगे।

- हवाई हमले से पहले व बाद में नागरिक सुरक्षा द्वारा किये गये सभी प्राकर के कार्यो की व्यवस्था की जानकारी जनता में देना ।
- हवाई हमले के बाद की सही स्थिति से जनता को अवगत कराना, घायल व मृतकों की जानकारी प्राप्त की सूची उपलब्ध रखना तथा जनता को जानकारी देते रहना।
- विभिन्न शिविरों तथा केन्द्रों की सूचना प्रसारित करना।

(ब) प्रसारण वाहन – आपातकाल में सूचनार्थ लेने–देने के कार्य त्वरित गति से किए जाने हेतु प्रत्येक सूचना केन्द्र पर प्रसार वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।
(स) आश्रय स्थल – आपातकाल में बेघर लोगों के अस्थाई निवास हेतु शहर की शालाओं, धर्मशालाओं को नागरिक सुरक्षा कार्यो हेतु अधिग्रहित किया जाकर जनता के लिए सुविधा मुहैया कराई जाती है। जब बडे पैमाने पर लोग घर छोड़कर जाने लगते हैं तो आश्रय स्थल की व्यवस्था करनी पड़ती है।
(द) आपातकाल भोजन केन्द्र – प्रत्येक केन्द्र पर इसके लिए भोजन सामग्री की व्यवस्था बनाये रखने के लिए दुकानों/संस्थानों को चिन्हित किया गया है ताकि दुर्घटना स्थल पर भोजन सामग्री की काला बाजरी मुनाफाखोरी रोकी जा सके। इसके अतिरिक्त आश्रय स्थल पर भोजन बनाने के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

(य) मोबाइल कैन्टीन – दुर्घटना स्थल पर नागरिक सुरक्षा कार्य कर्ताओं व पीड़ित आमजन के लिए अस्थाई नाश्ते/भोजन के लिए मोबाइल कैन्टीन की व्यवस्था कराई जावेगी। मोबाइल कैन्टीन एक लाख जनसंख्या पर एक के हिसाब से उपलब्ध कराई जावेगी। इसके लिए निम्न स्टॉफ स्वयं सेवक उपलब्ध कराये जावेगे :–

सुपरवाइजर	–	1 प्रति कैन्टीन
सहायक	–	3 प्रति कैन्टीन
वाहन चालक	–	1 प्रति वाहन

(र) हाउसिंग एवं बिलेटिंग :– हाउसिंग एवं बिलेटिग एक लाख जनसंख्या पर 01 से गणना कर संधारित किये जाते हैं।

ओवरसीयर (हाउसिंग ऑफिसर)	1 प्रति सैन्टर
लिपिक	1 प्रति सैन्टर
सन्देश वाहक	1 प्रति सैन्टर

(ल) आपातकालीन वस्त्रादि व्यवस्था – बेघर लोगों की शरण स्थल में मौसम के अनुसार सभी आयु वर्ग हेतु पहनने, ओढ़ने के लिए वस्त्रादि उपलब्ध कराने पड़ सकते हैं। अतः इस हेतु अभियान चलाया जाकर पर्याप्त वस्त्रादि उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जाती है। साथ ही शान्तिकाल में स्वयंसेवी संस्थाऐं जो वस्त्रादि एकत्रित कर वितरण का कार्य करती है, का सहयोग पूर्णरूपेण लिया जावेगा।

भाग – IV

16. **निष्क्रमण (Evacuation)** – नागरिक सुरक्षा योजना का महत्वपूर्ण भाग निष्क्रमण 'Evacuation' है, जो कि अपने आप में एक सम्पुर्ण योजना है। निष्क्रमण की कार्यवाही अति आवश्यक होने पर ही की जानी चाहिए। आम जनता खतरे के स्थान से सुरक्षित स्थान की ओर मय कीमती सामान, पशु, वाहनों तथा परिवारजनों के साथ पहुंचना अथवा सरकार द्वारा सुव्यवस्थित तरीकों से पहुंचाना निष्क्रमण है। निष्क्रमण के प्रकार :– संकट से पहले व संकट से बाद।

16.1 **संकट से पहले** – संकट से पहले निष्क्रमण की सूचना शहर के जिन–जिन भागों से निष्क्रमण कराया जाना है जिला प्रशासन द्वारा इसकी सूचना वहां के निवासियों अवश्य दी जायेगी। प्रशासन द्वारा उस भाग में यह आदेश प्रसारित कराने होंगे कि किस भाग से, किस प्रकार, किस भाग के लिए निष्क्रमण किया जावेगा, वहॉ क्या–क्या सुविधाऐं उपलब्ध रहेंगी।

16.2 **संकट के बाद** – घटना घटित होने के बाद दुर्घटना की स्थिति अनुसार सम्बन्धित स्थान की निष्क्रमण योजना तत्काल बनाई जाकर प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

16.3 नियन्त्रक (कलक्टर) स्थिति को मध्ये नजर रखते हुए निर्णय करेंगे कि अमुक–अमुक स्थान से जन जीवन को अल्पावधि के लिए कैम्प में ले जाना होगा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा से संबधित धाराओं का प्रयोग करते हुए नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के तहत नागरिक सुरक्षा नियम 1968 की धारा 6 के अंतर्गत निष्क्रमण के आदेश प्रसारित करेगें तभी कैम्प की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी। कैम्प स्थल पर सामाजिक संस्थाऐं नियन्त्रक (जिला कलक्टर) की लिखित सहमति प्राप्त करने पर ही कार्य करने के लिए सक्षम होंगी। निष्क्रमण के समय आने वाली समस्याऐं निम्नानुसार हैं :–

- जनता को पता नहीं होता है कि पलायान किस ओर करना है।
- जनता घबराहट में भगदड़ मचाकर गलत, खतरनाक व बिना सुविधा वाले रास्तों पर जा सकती है, साथ ही आवश्यक सेवाओं के आने–जाने में अवरोधक बन सकती है।
- वे आमजन जो स्वयं के वाहनों से घर बार छोड़कर निकल जाते हैं जानकारी के अभाव में सही गन्तव्य तक नहीं पहुच सकते, भगदड से पुलिस प्रशासन की दुविधा

बढती है। यातायात धीमी गति, अधिक भीड व तेज गति से चलने वाले वाहन व पशुओ द्वारा बाधक हो सकता है।

- असामाजिक तत्व बढ सकते है।
- सामाजिक परिवार जन आपस में बिछुड सकते है, विशेषतः बच्चो का गुम हो जाना।
- मूलभूत सुविधाओं की कमी होना व उसकी व्यवस्था करना।

16.4 **रास्ता** – निष्क्रमण कराने के लिए आमजन में पी.आर.ओ द्वारा माइक पर कैम्प स्थलों पर एकत्रित होने की सूचना दी जावेगी, ताकि आमजन को निष्क्रमण हेतु एक स्थान पर एकत्रित कर साधनों द्वारा गन्तव्य तक पहुचाया जा सके। इसके लिए हवा के विपरीत दिशा वाला रास्ता अपनाया जाना चाहिये।

16.5 **चैक पॉइन्ट कार्य** – स्थानीय प्रशासन द्वारा निष्क्रमण की सूचनाऐं एकत्रित करने, सरकार को सूचनाऐं देने जिसमें वाहन मय जनता के अपने निर्दिष्ट की ओर बढ रहें है व किसी प्रकार की समस्या है/नहीं है आदि सूचना एकत्रित करने के लिए चेक पॉइन्ट बनाये जावेंगे। सभी चैक पाइन्टों पर साधारण जल पान की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। मेडिकल सहायता प्रदान कराई जावेगी दवा की दुकानों की व्यवस्था की जावेगी। इसके लिए स्वास्थ अधिकारियों को सूचित किया जावेगा।

16.6 **प्रभारीगण** – कैम्प में एकत्रित स्थान से आमजन को प्रभारी निष्क्रमण वाहनों द्वारा/रेल द्वारा रवाना करेगें। प्रभारीगण कैम्प स्थल का सम्पूर्ण लेखा जोखा रखेगें। सूचना के लिए माइक बैटरी सहित, रात्रि में प्रकाश व्यवस्था, टैण्ट आदि की सम्पूर्ण व्यवस्था के लिए जिला प्रशासन/स्वयंसेवी संस्थाओ से सहयोग प्राप्त कर करेंगे। कैम्प की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी की होगी। उपरोक्त कैम्प अधिकारियों के कार्य क्रमवार निम्नाकित है :–

- **कैम्प कमान्डैन्ट** :– कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था कैम्प कमान्डेट करेंगे। वित व्यवस्था की जिम्मेदारी, उच्चाधिकरियों से तालमेल रखना।
- **डिप्टी कैम्प कमान्डैन्ट** :– कैम्प कमान्डैन्ट के आदेशों की पालना में कैम्प की सम्पूर्ण व्यवस्था योजना बानाना। कैम्प में जनता के रहने, सोने, खाने इत्यादि सुविधाओं की व्यवस्था योजना बनाना। कैम्प में जनता के रहने वालों की नामावली तैयार कर रिकार्ड संधारित करना, कैम्प के वाहनों की लॉग बुक का संधारण करना, उच्चाधिकारियों को सूचित रखना। इसके लिए दो नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक जिन्हें लिपिकीय कार्य आता हो, उपलब्ध रहेंगे । लिपिक कैम्प के सम्पूर्ण लिपिकीय कार्य करेंगे।
- **लेखाधिकारी** :– कैम्प के मद में होने वाले आय व्यय का सम्पूर्ण ब्यौरा रखना एवं समय–समय पर उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करना।

- **<u>वैलफेयर व सप्लाई अधिकारी</u>** :– कैम्प में रहने वालों की भोजन व्यवस्था, जल व्यवस्था, सूचना व्यवस्था, वस्त्र/बिस्तर व्यवस्था, कैम्प आवास के लिए प्रकाश की समुचित व्यवस्था मय अल्टरनेट व्यवस्था आदि कार्यो की जिम्मेदारी होगी। इनके कार्य क्षेत्र में कैम्प से संबधित सामान की आवक व्यवस्था रखने, कैम्प में सभी को आवंटित होने के लिए भोजन के कार्ड एवं राशन प्राप्त करना आदि होगे।
- **<u>चिकित्सा सहायता</u>** :– सी.एम.एच.ओ. द्वारा कैम्प स्थल के लिए एक फिजीशियन, एक कम्पान्डर व एक सहायक नर्स निरन्तर उपलब्ध कराए जायेंगे। कैम्प में प्राथमिक चिकित्सा दवाएं सदैव उपलब्ध रहेंगी।

16.7 **<u>विधुत कार्य</u>** – कैम्प स्थल पर विधुत से संबधित कार्य विधुत विभाग को आंवटित होगे। संबंधित विभाग के सहायक अभियन्ता कैम्प स्थल के विधुत प्रभारी रहेगे। कैम्प स्थल के लिए एक जनरेटर प्रशासनिक/जन सहयोग से प्राप्त कर उपलब्ध रखा जावेगा।

16.8 **<u>जलदाय</u>** – कैम्प स्थल पर पीने एवं नहाने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जलदाय विभाग को दी जाकर पूरी कराई जावेगी। किसी भी आपातकाल स्थिति में जन जीवन के आक्रोश से बचने के लिए राष्ट्रीय हित में आवश्यकता को देखते हुए अधिक लोगों को शहर से बाहर ले जाना/भेजना/पलायन करना पड सकता है ऐसी स्थिति में कैम्प कमाडैन्ट को कैम्प लगाने के लिए नियन्त्रक (जिला कलक्टर) द्वारा आदेश प्राप्त होंगे।

17. **<u>रिपेयर्स एण्ड डिमोलेशन्स</u>** – किसी भी स्थान पर हवाई हमलों अथवा अन्य मानवीकृत/प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अधिक संख्या में भवन क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इस प्रकार के क्षतिग्रस्त भवन अथवा क्षतिग्रस्त हिस्से यदि तुरन्त ठीक नहीं कराये जायें और उन्हे वैसे ही छोड़ दिया जाये, तो उनसे कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, जो निम्नानुसार है :–

- अधूरे ढ़हे हुए मकान अथवा उनके हिस्से भी ढ़ह सकते हैं, इससे आस–पास में जानमाल का अधिक नुकसान हो सकता है।
- क्षतिग्रस्त मकान जो मरम्मत से ठीक हो सकते हैं, यदि उन्हे वैसे ही छोड़ दिया जाये तो, अधिक समय बाद वे मरम्मत के योग्य नहीं रहेंगे।
- क्षतिग्रस्त मकान रेलवे लाइनों, व्यवस्त सड़कों अथवा अन्य आवश्यक सेवाओं के भवनों के आसपास हैं, तो उनके अचानक गिरने से यातायात व आवश्यक सेवायें बाधित होंगी और दुर्घटना हो सकती है।
- क्षतिग्रस्त मकान मरम्मत के अभाव में वैसे ही रहने दिया जाये, तो जन मानस में घटना की भयानकता का अहसास निरन्तर बना रहता है एवं उनके मनोबल पर विपरीत असर होता है। जन मानस अपने प्रशासन के प्रति विश्वास खोने लगते है तथा शत्रु की महता स्वीकार कर सकते हैं।

17.1 **रिपेयर दल का गठन** – उपरोक्त बिन्दुओं को ध्यान मे रखते हुए, सड़कों की मरम्मत, मलबा हटाने के लिए एवं क्षतिग्रस्त मकानों को गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग जिम्मेदार है कि वे अपने स्तर पर उपरोक्त कार्यो हेतु एक दल गठित कर उनके लिए आवश्यक साजो समान निर्धारण कर अपनी योजना नियन्त्रण (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा को भेजेंगे। इस दल में नागरिक सुरक्षा के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इस दल को निम्नलिखित बिन्दुओं पर कार्य प्रारम्भ करने होंगे ताकि कार्य व्यवस्थित रूप से शीघ्र सम्पन्न हो सके :–

(क) क्षतिग्रस्त मकान (निजी/सरकारी/व्यावसायिक स्थान) की मरम्मत शीघ्रता शीघ्र कराना चाहिये। निजी मकान वाले अपने स्वयं के प्रयासों से मरम्मत करना चाहें और उन्हें रिपेयर मैटैरियल की आवश्यकता होवे तो उनकी मांग पर उन्हें सामान देना पड़ सकता है। सरकारी भवनों की मरम्मत हेतु अधिक मात्रा में सामान रिजर्व रखना होता है।

(ख) रिपेयर दल केवल आवश्यक मरम्मत करेंगे, मकान में भीतरी सजावट अथवा कोई अतिरिक्त सुविधा नही बनायेगें, यह बात विशेष ध्यान मे रखी जानी चाहिए।

(ग) मरम्मत तभी की जावेगी यदि :–

- क्षतिग्रस्त मकान का वास्तव मे आवासीय उपयोग हेतु काम मे लिया जाना है।
- क्षतिग्रस्त मकान की मरम्मत के बाद उसमे परिवार जन आवास हेतु आने वाले हैं।
- क्षतिग्रस्त मकान कम मरम्मत में रहने योग्य बन सके।
- क्षतिग्रस्त मकान के रहवासी मरम्मत भार नही उठा सकते हों तो मरम्मत की सहायता की जावेगी।
- निजी एवं व्यवसायिक मकानों की मरम्मत उनके मालिकों द्वारा शान्ति कालीन व्यवस्था मे जैसे करवाते हैं वैसे ही कारवाई जावेगी।
- उनके गिरने से अन्य भवन, यातायात/रेल्वे/अस्पताल प्रभावित होते है।

17.2 **सड़कों की मरम्मत तथा मलबा हटाना** – घटना स्थल के आस पास सड़क पुलिया, रेलवे पुल, रेलवे लाईन आदि क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इन स्थानों को पुनः आवागमन योग्य बनाने हेतु एक दल का गठन किया जावेगा। साथ ही सड़क/रास्तों पर एवं पुलियाओं/मकानों के गिरने से फैला हुआ मलबा भी हटाने का कार्य करेगा।

17.3 **मकानों को गिराना** – क्षतिग्रस्त मकान जो किसी भी प्रकार की मरम्मत के योग्य नहीं है व कभी भी अपने आप साथ वाले भवन/सड़क/रेल लाइन पर अचानक गिर कर अधिक हानि कर सकते हैं। इस प्रकार के मकानों से दुर्घटना के अन्य कारण भी बन सकते हैं। अतः

इन्हें गिराने के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग एक दल बनाकर कार्य सम्पादित करया जावेगा।

18. **आवश्यक सेवाओं का रख रखाव** – निम्नलिखित आवश्यक सेवाओं के विभागाधिकारियों द्वारा प्रत्येक के लिए मरम्मत दल नागरिक सुरक्षा नियन्त्रण कक्ष के लिए नामांकित कर आपात काल में उपलब्ध कराये जायेंगे।

- दूर संचार विभाग के बाहरी लाइन मैन।
- जलदाय विभाग के पाइप लाइन पर कार्य करने वाले।
- विधुत विभाग के लाइन मरम्मत करने वाले।
- नगर निकाय द्वारा सफाई कर्मी।
- सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गठित रिपेयर दल।

19. पशुओं की देखभाल – आम दिनों में भी पशु आवारा घुमते रहते हैं तो हवाई हमला व अन्य आपदाओं की स्थिति मे पशुओं की देखभाल पर अधिक ध्यान रखना होगा। आपदा/विपदा के बाद पशु घायल अवस्था/मृत अवस्था मे मिल सकते हैं, पालतू पशु अपने बाड़े से निकल कर भागने लगते हैं, यहा तक कि आवारा पशु एवं जगली जानवर ज्यादा डरावनी आवाजें निकालकर, अपने बचाव के लिए बेतहाशा भागते हैं। इससे मनुष्यों के अधिक घायल होने का अन्देशा रहता है। पशु अपने बचाव के लिए हमला बोल सकते हैं। अतः नागरिक सुरक्षा योजना में पशु पालन विभाग द्वारा निम्नानुसार बिन्दुवार योजना बनाकर कार्य कराया जाना आवश्यक है :–

- आपातकाल में पशु नियंत्रण, दाना चारा नियन्त्रण व्यवस्था जिला पशु पालन विभाग की होगी।
- पशु पालन विभाग द्वारा शहर के सुरक्षित क्षेत्र में स्थान निश्चित कर दुधारू पशुओं के मालिकों को उन पशुओं को निश्चित स्थानों पर रखने की व्यवस्था के लिए आदेश प्रदान करेंगे।
- गम्भीर घायल जानवरों के इलाज की व्यवस्था करेंगे।
- मृत पशुओं का निपटान उचित विधि से करवायेंगे, ताकि महामारी नहीं फैल सके।
- आपातकाल में दवाओं की व्यवस्था, स्टोर रखने की व्यवस्था, कार्य के लिए आवश्यक सामान व उनकी भण्डारण की व्यवस्था, कर्मचारियों के कार्यों का बंटवारा कर उनको निर्देशित करने की व्यवस्था इत्यादि जिला पशु पालन अधिकारी द्वारा शान्ति काल में योजना तैयार की जावेगी।
- पशुओं की देखभाल योजना बनाने मे आपातकालीन समय मे उपरोक्त बिन्दुओं पर क्रियान्वयन करने के लिए पशु पालन विभाग द्वारा अपने स्तर पर दलों का गठन करेगा। जिससे घायल जानवरों को चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सकेगी व

साथ ही मृतक पशुओं को हटाकर महामारी से बचाव किया जा सकेगा। इस हेतु नागरिक सुरक्षा विभाग जिला पशु पालन विभाग से योजना प्राप्त कर अपने पास रखेगा।

20. <u>हवाई हमले की स्थिति में प्रकाश प्रबंधन</u> – इतिहास मे पिछले युद्धों में देखने में आया है कि शत्रु द्वारा हवाई हमला ज्यादातर रात्रि में ही किये गये हैं। इसके मुख्य दो कारण है – पहला ''रात्रि के अन्धकार मे शत्रु के विमानों पर मार करना अत्यन्त कठिन कार्य होता है, इससे शत्रु को उद्वेश्यपूर्ति के लिए समय मिल जाता है''। दूसरा ''सांयकाल/रात्रिकाल में जनजीवन के भोजन/सोने का समय होता है। अतः दुश्मन राष्ट्र को अपने उद्वेश्य की पूर्ति के लिए जनजीवन को अधिक से अधिक अस्त–व्यस्त करने का अवसर मिल जाता है''। शत्रु राष्ट्र के विमानों को हमले करने से रोकने के लिए वायु सेना ने अपने अत्याधुनिक हथियार तैयार कर तैनात किये होते हैं फिर भी शत्रु अपने उद्वेश्य की पूर्ति के लिए शहरी सीमा की ओर बढते हुए बम वर्षा करने में सफल हो सकते हैं। शत्रु के विमानों को शहर की विधुत व्यवस्था उॅचाई से उसके उद्वेश्य बिन्दु (टारगेट) तक जाने में अधिक सहायक होती है। उपरोक्त कारणों के आधार पर एक राष्ट्र प्रकाश नियन्त्रण की व्यवस्था से दुश्मन राष्ट्र के उद्वेश्यो की पूर्ति मे बाधक बन सकता है। प्रकाश नियत्रणं व्यवस्था को निम्नानुसार दो भागो में विभाजित किया गया है।

- सम्पूर्ण ब्लेक आउॅट करना जिसमें ऊॅचाई से व नजदीक से बाहर किसी प्रकार की प्रकाश की प्रकाश किरणें दिखाई नहीं दें।
- प्रकाश की मात्रा वोल्टेज के नियत्रण से उसके फैलाव एवं चमक की रेट को कम किया जाना।

20.1 <u>भवन की प्रकाश व्यवस्था</u>

- भवन/घर की प्रकाश व्यवस्था घर से बाहर दिखाई नही देनी चाहिए।
- प्रकाश व्यवस्था के लिए खिड़कियों/दरवाजों पर जो कॉच के होते है गहरे भूरे रंगे के कागज लगाने चाहिए। गत्ते/अखबारों से भी ढक सकते हैं।
- भवन/घरों के बाहर छत पर बल्ब नही लगायें, की व्यवस्था होनी चाहिए।
- भवन/घरों मे संध्या समय के बाद कम दर की विधुत व्यवस्था की जानी चाहिए।
- भवनों/घरों में कार्य अधिक से अधिक संध्या पूर्व निपटा लेना चाहिए ताकि कम प्रकाश व्यवस्था माकूल बनी रहे।

20.2 सड़क पर प्रकाश व्यवस्था

- सड़क पर लगी लाइटों को कम बोल्टेज मे फैलाने की व्यवस्था।
- सड़क पर लगी ट्यूब लाइट आदि को कम संख्या में लगाकर व्यवस्था बनाये रखना।
- खम्भों पर लगे बल्ब/ट्यूब लाइट पर शैड का प्रयोग किया जाना चाहिए।

20.3 वाहनों की प्रकाश व्यवस्था

- चोपहिया वाहन :– किसी भी वाहन की सीधी रोशनी वाली लाइट के गिलास को दो भागों में उपर नीचे करते हुए निचले आधे हिस्से पर एक परत पतले भूरे पेपर की लगाना और उपरी आधे भाग पर दो पेपर भूरे लगाने चाहिए।
- रेलगाड़ी – रेल की हैड लाइट का एक तिहाई भाग भूरे पेपर से ढक कर कम दर की विधुत का इस्तेमाल करना चाहिए। यात्रियो के डिब्बो मे विधुत व्यवस्था के लिए कम वोल्टेज के बल्ब प्रकाशित होन चाहिए। खिडकी के कॉच गहरे भूरे कागज/रंग से अपारदर्शी किये जाने चाहिए।
- दुपहिया/तिपहिया वाहनों की हैड लाइट एक तिहाई काले रंग की होनी चाहिए। बाजार में साइन बोर्ड की प्रकाश व्यवस्था को नियत्रंण मे रखना अवाश्यक है, इस हेतु स्थिति अनुसार नियत्रंक (कलक्टर) व्यवस्था बनाये रखेगे।

भाग – V

21. **रासायनिक युद्व (Chemical Warfare)** – रासायनिक युद्व उत्प्रेरक रासायन के द्वारा फैलाया जाता है, जिसका सीधा हानिकारक प्रभाव मानव पेड–पौधे जीव जन्तुओं पर पड़ता है। इसमें उच्च रासायनिक गैसों जैसे टैबुन सरीन, मस्टर्ड चौकिन, बायोबैन्जिल साइनाइट एवं अन्य विषैली गैसों का प्रयोग किया जाता है। इन गैसों के द्वारा शत्रु राष्ट्र का मुख्य उद्वेश्य जनता का मनोबल गिराना, कामदारों को अस्थाई रूप से विकलांग बनाना, पेड़ पौधों एवं जीव जन्तुओं को दूषित कर खाद्यान्न संकट पैदा करना आदि होता है।

21.1 रासायनिक गैसों का वर्गीकरण :– रासायनिक युद्ध में प्रयोग में लाई जाने वाले गैसों की भौतिक और रासायनिक विशेषताएं

क्र.सं.	गैस	पहचान करने का तरीका	मानव शरीर पर पडने वाले प्रभा
1.	**तांत्रिक** ● टैबुन : सायनो फास्फोरिक अम्ल की संजात होती है रंगहीन अस्तिर द्रव के रूप में होती है। ● सरीन : फ्लोओरों फॉस्फोरिक अम्ल की संजात होती है। रंगहीन, अस्थिर द्रव के रूप में होती है।	अत्यधिक मन्द फल जैसी गंध/सामान्यत गंध द्वारा पहचान नही होती पर रासायनिक परीक्षणों से पहचान हो जाती है। गंधहीन होती है, विशेष रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा पहचान की जाती हे।	देखने में परेशानी होती है। गला और छाती भारी हो जाती है। फेफडे का शोफ होना (लंग ईडीमा), नीलापन पसीना आना, अतिसार, मृत्यु होना।
2.	**व्रण गैस (बिलस्टर ग्रुप)** ● मस्टर्ड गैस,तेलिय द्रव के रूप में होती है। गहरे भूरे से लेकर हलके पीले रंग की होती है रबर, चमडे, कपडे लकडी में छेद कर देती है, चिर स्थायी होती है। क्लोरिन (अर्थात् – विरंजक चूर्ण) (ब्लिचिंग पाउडर) द्वारा आसानी से निष्प्रभावित हो जाती है। ● लेविसाइट (आर्सेनिक योग) : शुद्ध रूप में होने पर रंगहीन द्रव की तरह होती	लहसून प्याज या मूली या सरसों की गंध के समान गंध होती है। जिरेनियम (फूलों) की गंध की तरह गंध होती है।	वाष्पन, प्रभाव, आंखे जलने लगती है और सूज जाती है त्वचा लाल हो जाती है और उस पर फफोले पड जाते है खॉसी उठती है आवाज नही निकलती और बाद में श्वसनी शोध (ब्रॉन्काइटिस) या न्यूमोनिया हो जाता है द्रव प्रभाव आंखों पर तत्काल किसी प्रकार का प्रभाव नही पडता पर कुछ घण्टों में अति गंभीर लक्षण दिखाई पडने लगते है त्वचा दो घण्टे में लाल हो जाती है और फफोले 12 से 24 घण्टों में पडते है। **वाष्पन** : नाक, आंखों और फैफड़ों में क्षोभ उत्पन्न

	है पर अशुद्ध रूप में होने पर भूरे रंग की होती है। एक अदृश्य गैस छोडती है। अत्यधिक प्रभावशाली और चिर स्थायी होती है पर पानी और अम्लों द्वारा आसानी से समाप्त हो जाती है।		होता है। मस्टर गैस की तुलना में त्वचा को कम प्रभावित करती है। **द्रव** : आंखों पर तत्काल और गंभीर प्रभाव डालती है।मस्टर्ड गैस की तुलना में इससे त्वचा पर अधिक तेजी से फफोले उत्पन्न हो जाते हैं।
3.	**श्वास रोधी गैसे** ● फॉस्जीन : प्राय : अदृश्य गैस होती है, धातुओं को संक्षारित करती है। चिरस्थायी नही होती।	गीली घांस के सडने की गंध की तरह गंध होती है। धूम्रपान अरूचिकर हो जाता है।	जीवन के लिए अत्याधिक हानिकारक होती है। पहले प्रभावों में खॉसी उठती है, ऑसू निकलते रहते है, छाती में दर्द होता है, वसन में कठिनाई होती है। बाद में फुफ्फुस शोफ (पल्मोनरीईडीमा) हो जाता है। इसके प्रभाव 24 घण्टे में दिखाई पडने लगते है।
	● डाइफॉसजोन : रंगहीन द्रव्य के रूप में होती है। अर्द्धस्थायी होती है।	फॉस्जीन की तरह इसकी पहचान की जाती है।	फॉस्जीन की तरह प्रभावित करती है।
	● युक्सोरीन : हरे रंग की गैस होती है, धातु को संक्षारित करती है, चिर स्थायी नही होती।	विरंजक चूर्ण (ब्लीचिंग पाउडर) की गंध की तरह गंध होती है।	इसके प्रभाव भी फॉस्जीन की तरह होते है पर अधिक होते है पर अधिक क्षोभ उत्पत्र करते है और कम जहरीलें होते है।
	● क्लोरोपिक्रिन : रंगहीन होती है, वाष्शील द्रव के रूप में होती है, अर्द्ध स्थायी रूप में होती है।	तीखी गंध होती है।	इसके प्रभाव क्लोरीन की तरह होते है अधिक हानिकारक होते है।
4.	अश्रु गैस ● के.एस.के : गहरे भूरे द्रव के रूपम मे होती है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है।चिर स्थायी होती है।	प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। फल जैसी गंध होती है	सी.ए.पी.(नीचे उल्लेख किया गया है) की तरह प्रभावित करती है पर त्वचा पर इसका प्रभाव नही होता।
	● बी.बी.सी. (ब्रोमोबेन्जिल सायनाइड) : पीले भूरे क्रिस्टलो मे शुद्व रूप मे होती है। लेकिन सामान्यतः भेरे द्रव मे	प्रभावो द्वारा पहचान की जाती है। तीखी चुभने वाली गंध होती है।	इसके प्रभाव उपर्युक्त के.एस. के.की तरह होते हैं (जीवन को किसी प्रकार का खतरा नहीं होता)।

	चिरस्थायी रूप से प्रयोग मे लायी जाती है। ● सी.ए.पी (क्लोरिन फेनॉन) इसके रगंहीन क्रिस्टल होते है, गैसीय अवस्था मे अदृश्य होती है, चिरस्थायी नही होती । ● नासिका को प्रभावित करने वाली :डाइफेनाइल क्लोरसाइन (डी.ए) (डी.ए) (डी.एम.और डी.सी) सामान गैसे होती है। रगंहीन या चमकदार पीले क्रिस्टल होते है। गर्म किए जाने पर गंधहीन धुआ निकलता है। अदृश्य है, पास के स्थान को छोडकर, चिरस्थायी नही होती।	प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है केवल प्रभावों द्वारा पहचान की जाती है	आंखो मे जलन होती है, त्वचा पर काफी मात्रा मे तत्काल और गहरा क्षोभ होता है। छीके आती है, जलन होती है और छाती, गले, नाक और मसूड़ों मे दर्द होता है। बाद मे मानसिक दबाव होता है। लेकिन 5 मिनट में ही इसके प्रभाव होते है।

22. **<u>जैविक युद्ध (Biological Warfare)</u>** – जैविक युद्ध में किसी शत्रु के लोगों को उसके पालतू और अन्य पशुओं को मारने, उन्हें विकलांग बनाने या उन्हें क्षति पंहुचाने के लिए या फसलों को नष्ट करने के लिए रोग उत्पन्न करने वाले जीवित रोगाणु या उनसे उत्पन्न होने वाले रोगाणु का सप्रयोजन प्रयोग किया जाता है। ये जीवाणु स्वतः ही कम समय मे अधिकाधिक संख्या मे उत्पन्न होते रहते हैं तथा महामारी का रूप ले लेते हैं।

22.1 **<u>जैव युद्ध का उद्धेश्य</u>** :–

- मनोबल गिराने और आंतक फैलाने के लिए।
- चुने हुए लोगों जैसे औद्योगिक कामगारों आदि को विकलांग बनाने के लिए।
- लोगों पर किए जाने वाले सामान्य आक्रमण के एक भाग के रुप में।
- फसलों और पशुओं पर आक्रमण करके खाद्य पदार्थों की कमी उत्पन्न करने के लिए।

22.2 **<u>नागरिक सुरक्षा मे जैव युद्ध से बचाव</u>** – किसी भी राष्ट्र मे युद्ध के हमलों को रोकने का कार्य सेना द्वारा किया जाता है फिर भी तोड़फोड़ जैव युद्व की आशंका के बचाव के लिए प्रत्येक नागरिक को सतर्क रहना आवश्यक है। नागरिक सरक्षा द्वारा प्रशासन की सहायता से रोग फैलने के तरीकों एवं उनसे बचाव के तरीकों की जानकारी का कड़ाई से पालन नागरिक सुरक्षा कार्यो के माध्यम से कराई जावेगी। प्रशासन द्वारा चिकित्सा विभाग की सहायता से पानी खाद्य पदार्थो की जांच का कार्य समय–समय पर किया जाते हुए पुलिस और सेना की सहायता से साथ ही आमजन के सहयोग से पानी और खाद्य पदार्थो का रोगाणुओ से बचाव कराया जावेगा। पानी का जीवाणविक विश्लेषण बचाव में सहायक हो सकता है, साथ ही पानी का समुचित क्लोरीनीकरण भी कराना आवश्यक है।

22.3 जैविक युद्ध से सामान्य बचाव

- रोग का पता शीघ्रता से प्रारंभिक चरण में लगाना।
- आम जन को एक दूसरे के सम्पर्क में आने से रोकना।
- दूषित खाद्य पदार्थ, पानी के नमूनो की जॉच हेतु अतिरिक्त प्रयोगशाला सुविधा उपलब्ध कराना।
- सम्बधित रोग के टीकों की समुचित व्यवस्था करवाना तथा सूचना विभाग द्वारा टीके के प्रति सक्रियता जागृत करना।
- संक्रमणित फसलों व पशुओं को नष्ट करना।
- अस्पताल/प्राइवेट क्लिनिकों में रोगाणुओं को निष्प्रभावित करने हेतु पर्याप्त औषधियों का भण्डारण करवाना

- रोगाणु श्वॉस द्वारा त्वचा के सम्पर्क में आने पर एवं कीटों के काटने से शरीर में प्रवेश करते हैं इस रोगाणु रोधक ''नासा पैड'' प्रयोग में लाना।
- आश्रय स्थलों को समुचित प्रतिरोधक बनाना एवं दूंषित वस्तुओं की सूची बताते हुए उनके प्रयोग पर प्रतिबन्ध की चेतावनी देना।
- चिकित्सा विभाग औषधियों के समुचित वितरण एवं भण्डारण के लिए योजना बना कर कार्यवाही करना।
- नागरिक सुरक्षा विभाग द्वारा जानकारी के अनुसार वार्डन के माध्यम से जैव युद्ध एवं उसके बचाव की जानकारी आमजन तक पहुॅचाने का कार्य करेगा।

22.4 जैव युद्ध से मनुष्य, पशुओं व पौधों तथा फसलों पर रोगाणुओं का प्रभाव

मनुष्य पर रोगाणुओं का प्रयोग	**पशुओ पर रोगाणुओ का प्रयोग**	**पौधों और फसलों पर रोगाणुओं का प्रयोग**
जीवाणु : ● वैंसीलस एन्थरेसिस (गिलटी) ● साल्मोनेला टाइफॉस (टाइफॉइड) ● पास्बुरेला पेस्टिस (प्लेग) ● थिब्रियो कॉमा (हैजा) **विषाणु (वाइरस)** : ● एन्फ्ल्यूएंजा विषाणु (एन्फयूएंजा) ● संक्रमी यकृत शोंध का विषाणु (पीलिया) (वाइरस ऑफ इन्फेक्टिव हेपाटाइटिस) ● मसूरी का विषाणु (चेचक) (वैरिऑला वाइरस) **रिकेट्रिसया** : रिकेट्रिसयल प्रीवेजकी (महामारीवाला टाइफस) **जीवविष (टॉक्सिन)** : ● बॉटुलियन जीवविष (बाटुलिज्म) ● स्टेफिलोकॉकस जीवविष (अन्नविषाक्तता)	**जीवाणु** : ● वैसीलब एन्थेसिए (गिलटी) ● ब्रुसेला ग्रुप ब्रेसेलारूग्णता (ब्रेसेलोसिस) **विषाणु (वाइरस)** : ● मुख पाद रोग विषाणु ● पशुप्लेग विषाणु (कैटल प्लेग) (रिंडरपेस्ट वाइरस)	● हैलमिन्थोस्पोरयम ऑरिजेइ (चावल पर) ● पाइरिकुलेरिया ऑरिजेई (चावल पर) ● कार्नीलैक्टीयरियम सेपेडॉनिकम (आलू पर)

23. **परमाणु युद्ध (Nuclear Warfare)** – परमाणु बम में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 की जब न्यटानों से बमबारी की जाती है तो उसमें से ऊष्मान गामा किरणों, एक्स किरणों और कौंध के रुप में दिखाई देने वाले प्रकाश के रुप में बहुत बड़ी मात्रा में परमाणु निकलती हैं। तापमान लगभग दस मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड तक पंहुच जाता है, जो अपने आसपास की प्रत्येक वस्तु को वास्तव में पिघला देता है और कई मिलियन वायुमंडलीय दाब उत्पन्न करता है। परमाणु बम के विष्फोट से प्रकाश और ऊष्मा विकिरण, विष्फोट एवं तत्काल और विलंबित विकिरण इत्यादि प्रकट होते हैं।

23.1 **ऊष्मा के प्रभाव** – जब कोई न्यूक्लीय अस्त्र अधिस्फोटित होता है तो कुल ऊर्जा का 35 प्रतिशत तेज ऊष्मा और प्रकाश के रुप में निकलता है। यह ऊर्जा आग के गोले के रुप में निकलती है। किसी भी परमाणु बम ऊष्मा की लहर लगभग 1, 1/2 सैकंड तक रहती है पर बड़ी क्षति पहले आधे सैकंड के दौरान होती है। यह कौंध के रुप में होती है और इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है। ऊष्मा की लहर के बने रहने की अवधि अनुमाप विधि के अनुसार बढ़ती है। किसी 10 मेगाटन के बम से निकलने वाली ऊष्मा 20 सैकंड तक रहती है और इसके कारण बड़ी क्षति पहले 10 सैकंड के दौरान होती है।

23.2 **प्रारंभिक और द्वितीयक आग** – घटना स्थल के आसपास कुछ दूरी तक प्रत्येक वस्तु आग द्वारा पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। इससे लगभग 01 मील क्षेत्र में आग लग जाती है, जिसे प्रारम्भिक आग के रुप में जाना जाता है। द्वितीयक आग की स्थिति में इमारतें गिरने, घरेलु आग लगने, गैस के पाइप फटने और बिजली के तार के शॉर्ट सर्किट हो जाने इत्यादि कारणों से आग लग जाती है।

23.3 **परमाणु बम के विस्फोट का प्रभाव** –

- इससे कुल ऊर्जा का 45 प्रतिशत विष्फोट झटके के रुप में होना।
- उक्त झटके दो चरणों में होते हैं – 1. दाब और 2. चूषण।
- इमारत का विष्फोट के झटके सहन करने का सामर्थ्य जिसमें इमारत की मजबूती, आकार और खुले भागों (दरवाजे व खिड़कियां आदि) पर निर्भर करता है।
- The effects of Nuclear explosion can conveniently be divided into followings: -
  (a) Blast effect -45%
  (b) Heat effect -35%
  (c) Radiation effect -20% (5% Initial & 15% Residual Radiation)

Three Friends of Nuclear Warfare	Three Rules for Protection Against External Radiation	Three Rules to Prevent Intake of Radioactive Materials.	Effects on Human Body	Full Turnout Gear.
• Time • Distance • Radiation	• Time - Keep exposure time as short as possible • Distance - Keep as far away as possible from the source • Source - Shield body from source wherever possible	• Use B. A. (Breathing Apparatus) sets • Do not eat, drink & smoke in contaminated area • Withdraw from radiation area if you sustain open wounds	• Radiation sickness • Delayed effects • Long term effects • Genetic effects	• Helmet • B.A. (Breathing Apparatus) set. • Turnout coat. • Gloves. • Turnout paint. • Rubber boots. • Radiation Survey Meters. • Eye shield.

23.4 **मनुष्य के शरीर पर विष्फोट के प्रभाव** – मानव शरीर इमारतों की तुलना में दाब को अधिक शक्ति के साथ सहन कर सकता है, जिससे सीधे विष्फोट के कारण लोगों को अधिक चोट नहीं पंहुचेगी पर विष्फोट के अप्रत्यक्ष प्रभावों के कारण कई लोगों को चोट लगेगी, जैसे – इमारतें ढ़हना, मलवा गिरना, शीशे के टुकड़ों का उड़ना इत्यादि। इससे लगभग 02 मील के क्षेत्र में प्रभाव होंगे।

23.5 **परमाणु युद्ध – विकिरण प्रभाव** – जमीन पर या जमीन के निकट किसी भी परमाणु अस्त्र के अधिस्फोटित होने पर ऊपर उठने वाला आग का गोला जमीन से बहुत सारी मिटटी और अन्य सामग्री अपने साथ ऊपर ले जाता है। यह समस्त सामग्री रेडियोधर्मी हो जाती है और किसी ऐसे बड़े क्षेत्र में गिरती है जिसके ऊपर छत्रक रुपी बादल चलते रहते हैं। रेडियोधर्मी सामग्री के गिरने से उसके बड़ी मात्रा में फैलने का खतरा उत्पन्न हो जाता है।

23.6 **मनुष्यों पर विकिरणों का प्रभाव** – परमाणु विकिरणें मनुष्य के शरीर की कोशिकाओं को मारकर उसके शरीर को हानि पंहुचाती हैं। मनुष्य के समस्त शरीर पर होने वाले विकिरण के जैविक प्रभाव क्रमशः निम्नलिखित चार दशाओं में स्पष्ट हो जायेंगे :–

- **विकिरण के कारण बीमार पड़ जाना** – इसमें थकावट, मतली, अपाचन, भूख न लगना आदि इसके प्रारम्भिक लक्षण होते हैं जो उल्टी, अतिसार (दस्त की बीमारी) का रुप ले सकती है।
- **विलंबित प्रभाव** – त्वचा के नीचे रक्तस्राव होने के कारण रक्त के दाग उभर आने से शरीर से बालों का झड़ना जैसे विलंबित प्रभाव लगभग चार सप्ताह तक होते हैं।
- **दीर्घकालिक हानियां** – अरक्तता (अनीमिया), रक्त कैंसर, अस्थि या ऊतक विकिरण कैंसर और टयूमर इत्यादि जो सामान्यतः विकिरण होने के कई वर्ष बाद होती है। इसमें मनुष्य आयु से पहले वृद्ध हो सकता है।
- **आनुवांशिक हानि** – यदि जननें–द्रिया और जनन कोशिकाएं जो आने वाली पीढ़ियों की वंशागत विशेषता को आगे बढ़ाती हैं, विकिरण से प्रभावित होती हैं व आनुवंशिक हानि होती है।

23.7 परमाणु बम के विष्फोट के कारण विकिरण से उत्पन्न होने वाले खतरे

- **प्रारम्भिक विकिरण** – ये विष्फोट के केन्द्र से गामा किरणों के रुप में बाहर निकलती हैं व भेदक होती हैं :–

खाली जमीन (ग्राउण्ड जीरो से दूरी)	कुल मात्रा	मानव शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव
1/2 मील पर	5000 आर	यह स्थिति निश्चित रुप से विघातक होती है।
3/4 मील पर	500 आर	50 प्रतिशत घातक।
1 मील पर	100 आर	1 प्रतिशत लोगों का बीमार पड़ना।
1–1/2 मील पर	5 आर	कोई प्रभाव नहीं

- **अवशिष्ट विकिरण** – उसका अवपात (फाल आउट) – परमाणु बम के हवा में विष्फोट होने के बजाय यदि वह भूमि तल के निकट विष्फोटित होता है तो रेडियोधर्मी कण मिटटी आदि के बड़े और भारी कणों को संदूषित कर देते हैं और ये तेजी से जमीन पर जमा हो जाते हैं। इससे उस क्षेत्र में विकिरण का खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसमें शरीर या कपड़ों के संपर्क में आने से त्वचा जल सकती है। सांस लेने या अंतग्रहण द्वारा शरीर में प्रवेश करने पर घातक विष का कार्य करती है, जिससे तेज विकिरण रोग, आनुवंशिक रोग या मृत्यु हो जायेगी। जमीन पर जमा रेडियोधर्मी कण खुले खाद्य पदार्थों, पानी और फसलों को संदूषित कर सकते हैं।

23.8 रेडियोधर्मी सामग्रियों के गिरने से रोकने के लिए संरक्षण –

- **समय** – रेडियोधर्मिता तेजी से क्षीण हो जाती है। यह लगभग 2 दिन के अंदर इसके मान का 1/100 भाग हो जाती है।
- **दूरी** – किसी भी एक समान संदूषित क्षेत्र से कुल मात्रा का 1/3 भाग 12–1/2 फुट के घेरे से प्राप्त होता है, कुल मात्रा का आधा भाग 25 फुट के घेरे से प्राप्त होता है और कुल मात्रा का 3/4 भाग 100 फुट के घेरे से प्राप्त होता है। यदि इन घेरों के भीतर दीवारें, रुकावटें या अन्य हो तो यह मात्रा कम हो जाएगी, इसलिए भीतर रहना सुरक्षा की दृष्टि से ठीक होगा।
- **आड़ बनाना** – रेडियोधर्मिता की मात्रा कम करने के लिए विभिन्न सामग्रियों द्वारा की गई स्क्रीनिंग की व्यवस्था उन सामग्रियों के घनत्व के आधार पर की जाती है। 2.2 इंच कंकरीट इस मात्रा को आधा कम कर देती है

23.9 Suggested Role of District Magistrates of the Districts.

During Peace Conditions	• Assess the effects that could take place during an attack. • Prepare teams to work during disasters. • Educate the public • Evaluate resources available • Demand for extra resources from the Govt • Train the teams of officers/men from within the District for Disaster Management • Liaise with the neighboring Districts/States • Prepare the Evacuation Plans • Carryout periodical rehearsals of the Disaster Plans
During an Attack	• Proper Warning System • Taking of Shelter • Arrangement of First Aid to the victims • Control Rumors & give positive information • To arrange proper NBC kit to the teams to work in NBC affected area
After the Attack	• After the blast wave had passed, there would be ample time before the start of fallout (about half an hour in the case of a large bomb). Instruct people to get into a prepared refuge against the fallout • After the blast wave had passed people should quickly inspect all rooms in the house or building, including spaces under the roof for proper sealing • Advise people to extinguish fires after the blast wave • Nagar Nigam Jaipur and Nagar Parisad/Nagar Palika of towns are responsible for disposal of dead bodies with the help of local people • Arrange for urgent repairs or weatherproofing which could be completed within half an hour. Curtains or sheets should be tacked over broken windows to keep gross amounts of fall out from being blown into the

	rooms. There would be no cause to worry about small amounts of fall out getting into damaged parts of the house provided it was not allowed to get into food or water consumed in the refuge room. If dust was visible later in any room it should be swept and dumped outside • Except possibly in the area damaged by a nuclear explosion, a fall out warning would be given, to indicate that fall out was imminent. After the blast wave had passed and until the imminent warning was received all necessary help and first aid should be given to neigh burs.
Work of Radiological Unit and Decontamination unit	• Remove all outer clothing and place it in a room or cupboard separate from your refuge room. It would be useful to have bags of polythene or similar material into which contaminated articles could be placed since the bags could be handled later with a much smaller risk or spreading the contamination. In removing the outer clothing care should be taken not to shake it, as this would disperse radioactive dust unnecessarily into the atmosphere. • The hands, head and neck should then be thoroughly washed and scrubbed with soap and warm water while handing over a hand basin. This washing should be repeated at least once, taking care to brush water the nails thoroughly • Removal of dust from the clothing by means of an efficient household vacuum cleaner • Seeking & stirring the clothing in a solution of household detergent either 5 minutes in a washing machine or 5 minutes vigorous stirring (with a suitable stick) in a bath bucket followed by thorough rinsing in clean water
Metrological Deptt	• One should remain in the refuge for the first 2 days after the explosion or until you had been told that your district was free from radioactive fallout. If you did not receive any instructions you should stay in your refuge as long as possible (i.e. you should not remain any longer than was necessary in other parts of your house. Above all you should not go out of doors until you receive further instructions. A small transistor would be handy and useful • If you do not receive instructions before the end of the third day, it might be because you were in an area of high dose rate. If so, it would be all the more necessary for you and your family to remain in your refuge room, to spend as little time as possible in other parts of the house and to avoid outdoor exposure until you had been told what you might safely do • If the dose rate in your area were above certain intensity you would be told exactly when and where you would be collected. You would have to be ready at the exact time and place; otherwise, you might imperil not only your own life but also the lives of those who were accepting heavy risks carefully calculated in time, in trying to remove you and your family and neighbors

1.10 EVACUATION AGAINST A NUCLEAR ATTACK

The present day potential of nuclear weapons warrants the use of all possible means of protection against a nuclear attack. Education of the population, achieving the best possible protection factor in shelters, early warning system and evacuation of the population from target areas forms the mainstay of the protection. Traffic problems and mode of conveyance poses the toughest problem. To assess the same the following must be assessed: -

(a) An estimate of the number of individuals who could be moved to practicable locations under variable conditions.
(b) Techniques and measures of control, supervision, and management needed to affect the movement of the population;
(c) Specific recommendations for improving the facilities available, for the purpose of accelerating the evacuation; and
(d) A suggested procedure and standards for use as a prototype in the conduct of comparable studies in other communities.

1.11 BASIC REQUIREMENTS AND ASSUMPTIONS

1. **Map Study**. A detailed map, study of the city and area is the logical starting point for staff consideration of evacuation problems. Features of topography that will hinder traffic will be identified, as well as natural barriers that limit direction. Highways routes should be shown in some detail and tentatively rated for adaptability to evacuation. Nearby cities, which are potential targets, should be related to the area. All staff members should be familiar with the study.

2. **Definition of Evacuation Area**. The size of the area to be evacuated in and around an urban target area is dependent upon the size and importance of the target. An evacuation movement study must be predicted on a realistic estimate of probable damage. Therefore an evacuation area would be a target area and the reception area necessary to support its evacuees.

3. **Vulnerable Urban District**. A vulnerable urban district exists under either of the following conditions of industrialization or population: -

   (a) **Industrialization.** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there are enough industrial plants (having a total of 100 or more workers on all shifts) to total combined employment of 16,000 workers.
   (b) **Population.** The area enclosed by a line drawn through centers of contiguous 4-mile diameter circles, in each of which there is a resident or daytime population of 200000 persons.

Within the 10-mile buffer zone outside of and surrounding the vulnerable urban district protective construction is a requirement for new hospitals.

4. **Reception Area**. The areas to which people must be moved must lie beyond the outer limits of the evacuation zone. Planning of reception areas is beyond the scope of a traffic movement study and, as has been pointed out earlier, may probably be best done by city and State Civil Defence agencies concerned with health and welfare. The traffic movement plan should, however, take into account some of the requirements of reception areas. For example, evacuation routes should be checked and designated far enough into the safe area to insure connection with an adequate highway system. This facilitates radial or lateral secondary movement of evacuation traffic. The movement study should also include data on places and volume of discharge into the overall reception area, on which detailed support planning may be based.

5. **Psychological Assumptions.** The question of how people will behave during evacuation has been the subject of much speculation. Questions frequently raised are: Will all the people be willing to leave the city? Will people leave if they are separated from the families? Will the behavior of drivers be rational? The committee on Disaster Studies of the National Research Council of the USA is studying disaster behavior. It is assumed then, that if a plan for evacuation traffic is adopted and thoroughly publicized, people generally will follow the plan. There is little basis yet, however, for the conclusion that emergency conditions will result in a general increase in normal abilities and skills.

6. **Effectiveness.** At an early stage in evacuating planning the need is evident for a means of measuring the effectiveness of the plan developed. Such a basis for appraisal furnishes an index of effectiveness. The basic quantities to be checked by use of the effectiveness index are time, distance, and people. The distribution of people under normal circumstances, movement distances required to reach safety, land rate of movement can thus be determined. Since warning time is unknown, the entire range is time from zero (in case of complete surprise in attack) to that required for persons to reach safe areas should be plotted. Several factors influence making an index. One is the availability of information necessary to carry out computation or estimation of the factors. Another is the index used in other evacuation studies; the effectiveness of several cities, evacuation plan is more easily compared if they have common indices. Individual civil defence functions such as rescue, medical, engineering and welfare might find special information in these indices useful in planning details of operation. Some indices of effectiveness are listed below: -

(a) Total number (or percent) of survivors expressed as a function of warning time (i.e. time from warning until explosion).
(b) Number of persons reaching the safe area expressed as a function of warning time.
(c) Number of persons in each damage zone expressed as a function of warning time.

(d) Number of uninjured survivors expressed as a function of warning time.

(e) Number of uninjured survivors who will be in the safe area at some arbitrarily selected time (say two hours) after the explosion.

7. **Preconditioning.** It is assumed that the Civil Defence warning system is or will be effective, that all responsible persons within the evacuation area are familiar with the warning system, and that people know what they should do under the evacuation plan at any given time. This implies the existence of a simple, well-publicized plan with operating guidelines such as route markers and necessary control points adequately manned.

8. **Delay Time**. It is assumed that some period, probably less than a half hour elapses between the warning signal and the time evacuation movement reaches full effectiveness. During this period people will stop their normal activities, leave their homes or places of employment, and proceed to their designated transportation.

9. **Direction of movement**. The Administrative Authorities at district level will be held responsible to give direction for movement during evacuation as per the wind directions/weather report received from the Metrological Department.

10. **Traffic Drainage Areas**. It is assumed that for each one-way evacuation route passing from the city into the reception zone there is a corresponding drainage-area, or sector of the city whose traffic is tributary to that route. The area should be so selected that its generated traffic is within the capacity of the route. Stated another way, drainage areas should be designated so that all routes will be equally overloaded. This will result in the most efficient use of the route system. Neither evacuation routes nor boundaries between drainage areas should be crossed, except by authorized emergency vehicles. This does not preclude movement of vehicles by other than primary routes (i.e. streets other than the final exit from the evacuation area) from the A and B zones to C and D zones or beyond, thus moving a large percentage of the total population to areas of less hazard from the primary weapons effects.

11. **Route Capacity.** It is assumed that the route capacity, under ideal conditions is 1,000 vehicles per lane per hour that the probable capacity under average conditions is 800 vehicles per lane per hour and that such capacity will be reduced to 500 vehicles per lane per hour under emergency conditions. For different routes capacity may vary widely, depending on different roadway and traffic conditions. Capacity is the product of traffic density and speed of movement. Possible capacity is expressed as the maximum number of vehicles that can pass a given point on a lane or roadway during 1 hour under the prevailing roadway or traffic conditions. There is substantial evidence that the largest number of vehicles that can pass a point one behind the other in a single traffic lane, under ideal conditions, is between 2,000 and 2,200 passenger cars. Sustained hourly volumes in this range have rarely been observed, although the

traffic demand has been sufficient to exceed them on many occasions. This ideal capacity can be approached only under the following conditions: -

(a) That there are at least 2 lanes for the exclusive use of vehicles traveling in 1 direction.
(b) That all vehicles travel 30 to 40 miles per hour.
(c) That there is adequate width of traffic lanes, shoulders, and clearance of vertical obstructions.
(d) That there are no restrictive sight distances, grades, improperly super elevated curves, inter-sections, or interference by pedestrians.

12. **Conditions.** The evacuation traffic movement plan should be able to function effectively at any time it might be put into operation. To assure this, it must be designed to cover a range of conditions, including those prevailing when the warning would probably be received. Examination of the plan in light of several variable conditions may reveal the need for special provisions or even complete changes in the plan.

13. **Time.** Because of movement of people to and from areas by night and day, both distributions of people and vehicles should be examined. Areas of the city, which are deficient in transportation during either of these times, should be given supplemental arrangements under the plan.

14. **Strategic Evacuation**. Individuals might undertake this type of evacuation voluntarily on a limited scale recommended by local governments in case of threat of attack.

15. **Route Improvements.** Improving highway routes can accelerate evacuation of an area. Varying stages of improvement can be expected. A quantitative appraisal of their extent and effectiveness will indicate the degree of acceleration of evacuation they add to the plan.

16. **Wind Directions**. The Metrological Department will be held responsible for intimating about wind directions regularly to the Administrative Authority and Shelter Manager.

भाग – VI

25. जिले में हवाई हमले/आपदा की दृष्टि से खतरे वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र/महत्वपूर्ण स्थान (VAs/VPs) की सूची :–

क्र.स.	आपदा वाले प्रभवित स्थान
1	चादरवाला बालाजी पाल, लाखोटिया तालाब, पाली
2	गोरम घाट, मारवाड जंक्शन
3	परशुराम महादेव, सादडी
4	देसुरी नाल, देसुरी
5	जवाई बांध, सुमेरपुर
6	हेमावास बांध, पाली
7	बाणियावास बांध
8	फुलाद बांध
9	लाटाडा बांध
10	जोगडावास प्रथम बांध
11	तखतगढ बांध
12	केसुली बांध
13	दांतीवाडा बांध
14	सरदार समंद बांध

25. नागरिक सुरक्षा जिलों में उपलब्ध नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की सूची

क्र.स	स्वयं सेवक का नाम	पिता का नाम	सदस्य संख्या	मोबाईल नं.
1	शिल्पा गोस्वामी	हुकमपुरी	3	9460233288
2	नाथुराम गुर्जर	पोकरराम	5	8769393010
3	राकेश कुमार	बाबुलाल	7	9588221616
4	सुरमा कुडिया	ओम प्रकाश	8	8824250315
5	ओमपालसिंह	उम्मेदसिंह	9	7737885000
6	सिराज अहमद	अहमद शरीफ	11	9461831631
7	जितेन्द्रहंस	जगदीश कुमार	14	7568071105
8	आनन्दसिंह	गोरधनसिंह	18	8003752785
9	कुंवरपालसिंह	श्रवणसिंह	20	9461301405
10	धर्मेन्द्र	भंवरलाल	21	9660636516
11	गणेश सैन	बाबुलाल	22	9001918323
12	पारस कुमार	जोगाराम	23	9166644219
13	अर्जुन राम	श्रवण राम	24	9587639400
14	प्रेमसिंह	बुधसिंह	25	8003475577
15	श्रवणसिंह	अचलसिंह	26	7568459958
16	दीक्षातं सिंह	गोपाल सिंह	28	7821056401
17	चंद्रदीपसिंह	मदनसिंह	30	9784206042
18	जितेन्द्र कुमार	बगताराम	31	9660440680
19	दिनेश सरगरा	देवारामजी	32	9166631519
20	मंच्छापूर्ण	सांवता राम	36	8107012494
21	विष्णुराम	हरिराम	42	7414804556
22	लक्ष्मण राम	मांगीलाल	45	9783298632
23	नरपतराम विश्नोई	जालाराम	48	7240780421
24	दिलीपसिंह	रामसिंह	51	7728010299
25	बाबुलाल	मांगीलाल	53	9783770168
26	भरतसिंह	जालमसिह	54	7073380115
27	जितेन्द्र पटेल	बुद्वाराम	55	9772554041
28	परमेश्वर मेवाडा	भीकमचन्द	56	8875602226
29	प्रदीप सिंह	गोरधन सिह	60	8003274729
30	सदाम हुसैन	मो. अकबर	62	9119117837

31	हस्तीमल प्रजापत	बींजाराम	63	9414985777
32	अशोकसिंह	शैतानसिंह	64	6377874562
33	धर्माराम	देवाराम	66	9799799290
34	भंवरलाल	ताराचन्द	68	8233782106
35	दिनेश विश्नोई	बाबुलाल	69	8104164445
36	विरेन्द्र सिंह	सोहनसिंह	70	9468632240
37	हनुमानाराम मीणा	पुरखाराम	71	9587974939
38	प्रेमाराम	भुराराम	74	9799772554
39	अशोक	कालुराम	77	7014117902
40	दिलीप पुरी	इन्द्र पुरी	78	8949774576
41	दिलीप सिंह	मदनसिंह	80	9828371099
42	यशपाल सिंह	गोपालसिंह	83	9413078651
43	जसवन्तसिंह	हुकमसिह	85	8696177118
44	श्रीदेवी	सत्यनारायण	86	9461213100
45	हीना	बाबूदीन	87	8209150858
46	उषा	विरमदेव	89	9983299140
47	मंजूदेवी	प्रकाश राम	91	7568250788
48	प्रेम	कानाराम	93	8769393010
49	उमेश सिह	धनसिंह	94	8209335221
50	सुरेन्द्रसिंह	खेतसिंह	95	9995632396
51	अब्दुल वाहिद	वाजिद मा.	97	9782246240
52	महेन्द्र कुमार	भंवरलाल	100	9214975910
53	सुनील	संतोष कुमार	**101**	8769118009
54	कैलाश कुमार	तेजाराम	**102**	8239554769
55	सुरेन्द्र	बाबूलाल	**103**	9783770168
56	वसीम खान	अनवर खान	**104**	9887352606
57	मुमताज बानो	अब्दुल वाहिद मोहम्मद शेख	**105**	9782246240
58	चन्दन सिंह	खीम सिंह	**106**	7742345019
59	शाहरूख खान	मोहम्मद आरीफ	**107**	7976788007
60	राहुल सिंह	प्रभू सिंह	**108**	9602871618
61	मो. यासीन	मो. सलीम	**109**	9549068539

62	गजेन्द्र कुमार	भोला राम	**110**	9928872072
63	कुलदीप पूरी	इन्दर पुरा गोस्वामी	**111**	9413222606
64	पूजा कंवर गोस्वामी	दिलीप गोस्वामी	**112**	9413222606
65	हीरालाल रेगर	अमरचन्द	**113**	8442050737
66	राजाराम	भुराराम	**114**	7425877841
67	मुकेश	भंवरलाल	**115**	9588954187
68	सुरज बंजारा	बाबूलाल बंजारा	**116**	8003611692
69	मुकेश कुमार	देवाराम	**117**	9001711926
70	प्रमोद गौतम	अमृतलाल गौतम	**118**	8290501085
71	कनकराज	हरिराम	**119**	7877647404
72	प्रमोद मेघवाल	मोहनलाल परमार	**120**	8619723428
73	पियुष गौतम	मोटाराम	**121**	7014372062
74	मुकेश कुमार	रमेश कुमार	**122**	9772232529
75	प्रकाश राम	मांगीलाल जी	**123**	8005816538
76	चन्दन सिंह	बजरंग सिंह	**124**	9252542635
77	भैरूसिंह	हडंमत सिंह	**125**	8764100923
78	कैलाश सिंह	विक्रम सिंह	**126**	7357489905
79	कुलदीप सिंह	भंवरदान	**127**	9166480793
80	बालु सिंह	देवी सिंह	**128**	9251646175
81	अनिल पटेल	अम्बाराम	**129**	9649755059
82	शाहरूख खान शेख	सलीमुदीन शेख	**130**	7976903200
83	धापू देवी	भंवरलाल	**131**	9982784911
84	भाग्यश्री	प्रवीण कुमार	**132**	7339862739
85	सीमा मेघवाल	रतन लाल	**133**	8094612580
86	सुरेश कुमार राणावत	घीसाराम	**134**	9602811287
87	राजू सिंह	मनोहर सिंह	**135**	9460060089
88	विजय सिंह	थान सिंह जी	**136**	8696846819

89	मनजीत राठौड	नारायण लाल	**137**	7568945740
90	ऋषभ पंवार	सोहन लाल जी	**138**	9929675850
91	रोहित भाट	श्री मदनलाल	**139**	8058192345
92	महेन्द्र	अमराराम	**140**	6375949087
93	शैलेन्द्र सिंह कालोत	राजकमार कालोत	**141**	9269995597
94	सोडंराम	भुंडाराम	**142**	9257184313
95	मन्नाराम	पेमाराम	**143**	9829799606
96	कैलाश	गोपाल सिंह	**144**	9511543718
97	खुशी	किशोर जी	**145**	7734899401
98	गोपाल सिंह	अर्जुन सिंह	**146**	7665513705
99	भवानी सिंह	गोपाल सिंह	**147**	8875708395
100	सानिध्य परमार	अशोक कुमार	**148**	8949753603
101	विजेश चौहान	कन्हैयालाल	**149**	9116557015
102	प्रभूराम	सवाराम जी	**150**	8432087175
103	साहिल खान	फिरोज खान	**151**	6375957520
104	फिरदोश खान	फिरोज खान	**152**	9694135501
105	फिरोज खान	शेर खान	**153**	8769515550
106	श्याम सुन्दर	दुर्गाराम	**154**	7568896297
107	जीतेन्द्र सोलंकी	घेवरलाल	**155**	9664539183
108	विक्रम चौहान	कन्हैयालाल	**156**	9358455732
109	प्रवीणा राठौड	भंवरलाल	**157**	9660636516
110	किशोर कुमार	रतनलाल	**158**	9571154342
111	सुभाष विश्नोई	देवाराम	**159**	6377944501
112	महिपाल पंवार	नैनाराम	**160**	6367934785
113	कैलाश मेघवाल	शिवलाल	**161**	9079146447
114	रमेश कुमार	भुराराम चौधरी	**162**	9313971740
115	धरम सिंह देवडा	समरथ सिंह देवडा	**163**	9929226471

116	अशोक चौहान	पूनाराम जी	**164**	9460250795
117	शैतान सिंह	बहादुरसिंह	**165**	7073147050
118	प्रकाश	सोहनलाल	**166**	9950590599
119	आकाश	बाबूलाल	**167**	6367134440
120	कुमार	मोहनलाल	**168**	9784599520
121	शिवानी	इन्द्र सिंह	**169**	9950082690
122	देवेन्द्र दमामी	जीवतरामजी	**170**	8619962412
123	पूनमचन्द	गंगाराम	**171**	9929225710
124	जयपाल बंजारा	श्रवणराम	**172**	9521498657
125	महेश	जेठाराम	**173**	9680665272
126	कमलेश गुर्जर	कानाराम गुर्जर	**174**	8619916577
127	रविन्द्र पूरी	मदन पूरी	**175**	6376984242
128	भरतसिंह	श्यामसिंह	**176**	8890742522
129	महिपाल सिंह	नारायण सिंह जी	**177**	9351515337
130	श्रीयांश वैष्णव	राजेन्द्र वैष्णव	**178**	7737108185
131	शक्ति शरण	उदय सिंह	**179**	9354334918
132	रूपसिंह चौहान	अर्जुनसिंह	**180**	6378960048
133	दिनेश सोलंकी	चन्दुलाल	**181**	8619838084
134	डाया राम	भूराराम	**182**	8769012445
135	विनोद	हरिराम	**183**	9660399883
136	हरीश कुमार	शंकरलाल	**184**	8696661883
137	मनोज प्रजापत	देवाराम प्रजापत	**185**	9529386697
138	संगीता	हरिराम	**186**	9950166237
139	राजेन्द्र सिंह	धरम सिंह	**187**	8302605562
140	धर्मेन्द्र	प्रेमचन्द्र	**188**	9001111806
141	करण पंवार	बन्शीलाल	**189**	9509737335
142	हितेश कुमार शर्मा	संतोष कुमार शर्मा	**190**	8209630658

143	जयश्री	स्व.प्रदीप कुमार	**191**	7357233721
144	राहुल पारंगी	रामलाल पारंगी	**192**	7727051921
145	अश्विन कुमार राईका	जेठाराम राईका	**193**	9352593563
146	चन्द्रपाल सिंह	तख्तसिंह	**194**	9521508507
147	गोपाल सिंह	सोहन सिंह	**195**	6377605293
148	विकास राम	हेमराज	**196**	6367181457
149	राजेश	शिवलाल	**197**	9784272856
150	विमला कुमारी	दुर्गाशंकर	**198**	9571332411
151	कुसुम	विनोद कुमार सैन	**199**	9079096690
152	विक्रम सिंह	भगवान सिंह	**200**	9660125858
153	खुशबु	श्रवणराम	**201**	7427663329
154	महेन्द्र	दुर्गाराम	**202**	8824976641
155	मोईनुदीन	अकबुरूदीन	**203**	8005665180
156	जितेन्द्र गोयल	भेराराम	**204**	8890747442
157	घनश्याम	नारायण लाल	**205**	8104704258
158	महेन्द्र कुमार	लक्ष्मण लाल	**206**	9829073411
159	भरत सोलंकी	जगदीश चन्द्र	**207**	8764076771
160	सुनिल	प्रेमाराम	**208**	6377254778
161	सीमा विश्नोई	दोलाराम	**209**	9636977043
162	रमेश	ओगडराम	**210**	7597982488
163	सुरता कुमारी	करण पंवार	**211**	6375749087
164	दिपक गाईवाल	गोवर्धन लाल	**212**	9929046997
165	जय सिंह सिसोदिया	पुनम सिंह	**213**	9950282132
166	मोहम्मद साजीद	इरफान मोहम्मद	**214**	8955653846
167	नारायण लाल	मांगीलाल	**215**	9001106298
168	विरेन्द्र सिंह	जोध सिंह	**216**	9166505367
169	छगनलाल	जसराज	**217**	8952961551

170	मनीष चौहान	छगनलाल चौहान	**218**	9116310554
171	मैना	भरत राम	**219**	7728066834
172	उमेश माथुर	धर्मेन्द्र	**220**	9929100480
173	प्रताप सिंह	ओम सिंह	**221**	9261399023
174	विसनाराम	खैराज राम	**222**	8302184720
175	कैलाश बंजारा	प्रकाश	**223**	9950739265
176	नन्दकिशोर रामावत	प्रदीप कुमार	**224**	7073697293
177	लालाराम	चिमनाराम	**225**	9079866793
178	कालुराम	मांगीलाल	**226**	9664341931
179	भरत कुमार	भंवरलाल	**227**	7424851260
180	गजेन्द्र पलारिया	घनश्याम	**228**	9261321393
181	सुरज सिंह	ओम सिंह	**229**	8947896861
182	पुनम	लक्ष्मण राम	**230**	7300434066
183	विक्रम	वजाराम	**231**	9636342973
184	मनोहर	रामलाल	**232**	7023775402
185	भानुप्रताप सिंह	मंगलसिंह	**233**	8233948001
186	नरेन्द्र कुमार मीणा	रामाराम	**234**	9660159362
187	राकेश कुमार	केसुलाल	**235**	7568679947
188	मुकेश	तलसारा	**236**	7425068531
189	किशोर सिंह	राम सिंह	**237**	9251566171
190	सुनिल शर्मा	गोपाल शर्मा	**238**	8764474440
191	ललित सिंह	दलपत सिंह	**239**	9694799519
192	दिलीप	लक्ष्मण	**240**	9587937966
193	प्रियंका	बंशीलाल	**241**	9928902040
194	चेतन	भंवर सिंह	**242**	9636275629
195	रूकैया	मोहम्मद अली	**243**	9610053248
196	प्रकाश राम	टिलाराम	**244**	7878519084

197	दीपक कुमार	मोडाराम	**245**	8529311083
198	प्रकाश कुमार मीणा	सकाराम	**246**	9660292841
199	दशरथ कुमार	गलबाराम	**247**	8302653779
200	दौलत सिंह	सुरेन्द्र सिंह	**248**	7976758725
201	कैलाश	तुलसाराम	**249**	6376501679
202	श्रवण कुमार	चम्पालाल	**250**	6378233803
203	राहुल राठौड	बंशीलाल	**251**	9928902040
204	सविता	मांगीलाल	**252**	9257399816
205	किशोर	चम्पालाल	**253**	9511322910
206	रामावतार	रामलाल प्रजापत	**254**	9829370323
207	चन्द्रप्रकाश	पुनाराम	**255**	9664478891
208	ललित	ओगडराम	**256**	9653796356
209	गौरव	रमेश कुमार सैन	**257**	9660983900
210	दलपत	बुधा राम	**258**	7726952834
211	महेन्द्र कुमार	मंगला राम	**259**	8107259907
212	धीरज कुमार	नारायण लाल	**260**	7073636621
213	छोटू सिंहु	चैन सिह	**261**	9799554138
214	धनाराम विश्नोई	चिमनाराम	**262**	6375246137
215	श्रवण राम	पप्पाराम	**263**	7877208569
216	विक्रम कुमार	रमेश कुमार	**264**	9549249103
217	गोविन्द्र पुरी	देवपुरी	**265**	7976026571
218	महेश	रूपाराम	**266**	9509498155
219	सुप्रभात सिंह	गणपत सिंह	**267**	8058147361
220	राकेश कुमार	गोविन्द राम	**268**	8875165113
221	सुनित कुमार चौहान	बंशलाल चौहान	**269**	9521778941
222	छगनलाल	मोहनलाल	**270**	9610972233
223	खुशबु जाट	ओमप्रकाश	**271**	9358759121

224	मुकेश कुमार	सत्यनारायण	**272**	9414144687
225	दीपक पुरी	प्रकाश पुरी	**273**	9660633823
226	गोपाराम	सोनाराम	**274**	8209232388
227	हनुमान	मिश्रीलाल	**275**	8890226998
228	दिलखुश	केनाराम	**276**	6378789435
229	राजवीर सिंह	कालु सिंह	**277**	9166969740
230	मधु कंवर	भंवर सिंह	**278**	8107141163
231	तोलाराम	श्री भंवर	**279**	6376069102
232	करण सिंह	श्री सवाई	**280**	9509130974
233	नारायण लाल	रताराम	**281**	8529907493
234	सीमा चौहान	रोशन लाल चौहान	**282**	8005533622
235	अर्जुन	हीराराम	**283**	9352635942
236	अनिता	दिनेश	**284**	9166631519
237	प्रहलाद नाथ साहू	कैलाश नाथ	**285**	8875244470
238	महेन्द्र कुमार	जगदीश प्रसाद	**286**	9166650397
239	देवेन्द्र नवल	सुरजमल नवल	**287**	6350247104
240	भरत कुमार	मांगीलाल	**288**	7976888953
241	किशन लाल	छोगाराम	**289**	7727054660
242	गोपाल मीणा	मालाराम	**290**	7023960183
243	रोहित कुमार	जयन्तिलाल	**291**	9680434245
244	राजेन्द्र सिंह	डुंगरसिंह	**292**	8432129414
245	पर्वत गौतम	अशोक कुमार जी	**293**	7976714173
246	दिनेश	चम्पालाल	**294**	9660289976
247	जावीद	जमालुदीन	**295**	7733858797
248	जितेन्द्र कुमार	जयन्तिलाल	**296**	9166670970
249	रविन्द्र सिंह	नारायण सिंह	**297**	6350156139
250	महेन्द्र कुमार	मोडाराम	**298**	7734998188

251	इनायत अली	मेहबूब अली	**299**	9610813965
252	प्रवीण प्रजापत	धनराज	**300**	9380373385
253	राकेश	श्री भगवान सिंह	**301**	8740040535
254	नवीन जुरिया	नाथु लाल जुरिया	**302**	7733984801
255	नितिन	मदनलाल	**303**	8905610615
256	हरीश कुमार	नरसाराम	**304**	7615971552
257	प्रदीप कुमार	दीपाराम	**305**	9929529869
258	विक्रम सिंह	बाघ सिंह	**306**	9799448916
259	हितेश कुमार	श्री मदन लाल	**307**	8890758832
260	आकाश कुमार	बाबुलाल	**308**	8690653060
261	पलक कुमारी	प्रविण कुमार	**309**	6378860551
262	उर्मिला कुमारी	मांगीलाल	**310**	9024431184
263	ज्योति सेन	अरुण गहलोत	**311**	8290101610
264	दीपिका	किशन लाल	**312**	8852955328
265	निशा कुमावत	दिलीप कुमार	**313**	9799592670
266	नितेश गर्ग	मदनलाल गर्ग	**314**	8949353808
267	प्रेमाराम	भंवरलाल	**315**	8949862049
268	जगदीश	घेवरलाल	**316**	7339777446
269	मोहित कुमार	खरताराम	**317**	8690670395
270	दिनेश कुमार	गोविन्द लाल	**318**	9875710579
271	सरोज कुमारी	जोधाराम सोलंकी	**319**	6350552498
272	पुजा मेगवाल	ललित कुमार माधवी	**320**	8769151707
273	हितेश कुमार	जगदीश चन्द	**321**	7568382705
274	तेजपाल गुर्जर	गणेश राम जी	**322**	9649666461
275	किशनलाल	छगन लाल	**323**	9509361999
276	पुनम	गोपीलाल	**324**	9351676139
277	भेराराम	छोगाराम	**325**	7742737771

278	रवि प्रकाश शर्मा	अम्बालाल	**326**	9799508204
279	नीतु	मोहनलाल	**327**	9054903880
280	गजेन्द्र प्रजापत	धनराज	**328**	9376200515
281	कानाराम लोंगेसा	नाथाराम	**329**	9024338557
282	लखन सिंह	बाबुसिंह	**330**	9660662062
283	संजय कुमार	सोहन लाल प्रजापत	**331**	6377391100
284	विशाल	सन्तोष	**332**	9929395971
285	घीसा राम	चेनाराम	**333**	7742546921
286	कुँवर पाल सिंह	रणजीत सिंह	**334**	9119238824
287	अनिता बन्जारा	सावल राम बंजारा	**335**	8949981127
288	उमराव	रमेश दास	**336**	9928183004
289	मनीष कुमार गहलोत	अशोक कुमार	**337**	8290462977
290	हितेश कुमार	विजय कुमार	**338**	8000633019
291	सुरता देवी	जालाराम	**339**	7240780421
292	प्रमोद दास	श्री दीपदास जी	**340**	8209323626
293	उषा घॉची	दलाराम जी	**341**	6350407857
294	ललित मीणा	रूपाराम मीणा	**342**	7240075469
295	जितेन्द्र मीणा	रूपाराम मीणा	**343**	9079674224
296	पारसमल	नेमाराम	**344**	9636753087
297	चेतन सिसोदिया	माधो सिंह	**345**	9784610743
298	सुरेन्द्र सिंह	श्री उदय सिंह	**346**	8949100171
299	जितेन्द्र मीणा	लक्ष्मण चन्द	**347**	6376135579
300	रणजीत सिंह राणावत	गणपत सिंह राणावत	**348**	8955828049
301	तरूण सिंरवी	मोतीलाल सिंरवी	**349**	8879497673
302	जैसाराम	सोनाराम	**350**	9166559539
303	महिपाल सिंह	नरपत सिंह	**351**	9602392064
304	संध्या कुमारी	श्री मदनलाल	**352**	8955201634

305	ललित मीणा	रंगाराम	**353**	9649172022
306	मोहीनूदीन बलोच	साबीर खान	**354**	8302981564
307	प्रकाश चन्द्र	भेराराम	**355**	7296923233
308	रोहित परमार	देवाराम	**356**	7742455433
309	सुमित परिहार	मदन परिहार	**357**	8209656940
310	प्रवीण कुमार	मोडाराम	**358**	9057441257
311	तुलसाराम	नगाराम	**359**	8441055347
312	महेश कुमार	हजारी लाल माली	**360**	6377469314
313	डगरी	वचनाराम	**361**	8107248582
314	रिंकु कुमारी	कानाराम	**362**	8949945051
315	जयश्री चौहान	चम्पालाल	**363**	6377181625
316	खुशबु	रामदास	**364**	8000283626
317	हिमताराम	कानाराम	**365**	8824580955
318	पुष्पेन्द्र सिंह	भानुप्रताप सिंह	**366**	9694978023
319	लक्ष्मण प्रजापत	लुम्बाराम	**367**	8114457456
320	श्रवण	शेषाराम	**368**	9602609823
321	तोलाराम	पीराराम	**369**	8769577552
322	मुकेश कुमार	मेघाराम	**370**	9079364077
323	ललित कुमार बामणिया	घीसाराम बामण्या	**371**	8290157874
324	दीपिका कुमारी मीणा	लक्ष्मण राम मीणा	**372**	7023200120
325	मनीष कुमार चौधरी	नरेन्द्र कुमार	**373**	9001719303
326	प्रकाश	थाना राम	**374**	8955027619
327	रविन्द्रपाल मीणा	लक्ष्मणराम मीणा	**375**	7023674607
328	सुरेश कुमार	रमेश	**376**	6378234796
329	कमलेश कुमार	सोमतीराम	**377**	8619218682
330	रमेश कुमार	वचनाराम	**378**	9001331763
331	विक्रम मीणा	रंगाराम मीणा	**379**	8690575910

332	भवानी सिह	मांगीदान	**380**	9887172672
333	महावीर मीणा	रमेश कुमार	**381**	9530017736
334	श्रवण कुमार मीणा	भंवरलाल	**382**	7014312842
335	गौतम कुमार	बाबुलाल	**383**	6377141755
336	दीपा सोलंकी	अभीनव सोलंकी	**384**	9887109332
337	उमेश माली	ओमप्रकाश माली	**385**	7737363852
338	प्रशांत माली	ओमप्रकाश माली	**386**	9024063567
339	योगेश कुमार	जगदीश चन्द	**387**	8302085137
340	रघुनाथ राम	मेघाराम	**388**	9509266187
341	सनी चौहान	हुकमाराम	**389**	9571236134
342	फुहाराम	बाबराराम	**390**	9351675321
343	नरेश कुमार	भंवरलाल	**391**	7665521014
344	गोविन्द कुमार	भंवरलाल	**392**	7665560790
345	हकाराम	चौपाराम	**393**	9799883167
346	पंकज	भीमाराम	**394**	9772089488
347	राजेन्द्र सिंह	हेमसिंह	**395**	9950700164
348	रविन्द्र कुमार	वेलाराम	**396**	8209502946
349	महेन्द्र कुमार	ढलाराम	**397**	9602710241
350	शरीफ खान	राजु खान	**398**	9549391762
351	प्रेम प्रकाश	चोताराम	**399**	8000295701
352	विष्णु विश्नोई	केजाराम विश्नोई	**400**	8770334562
353	भुपेन्द्र कुमार मीणा	मोहनलाल मीणा	**401**	7357202917
354	माया	धनाराम	**402**	9799261963
355	हिम्मत सिंह	जगदीश सिंह	**403**	7742888915
356	दिनेश सिंह	अमर सिंह	**404**	9680785399
357	महेन्द्र चौधरी	दुर्गाराम चौधरी	**405**	6375723678
358	खुशवंत परिहार	हेमाराम	**406**	7427038368

359	यशपाल सिंह	किशोर सिंह	**407**	6378282166
360	भरत कुमार	मगनलाल	**408**	8740971092
361	प्रकाश कुमार	मंगलाराम	**409**	9358302410
362	प्रकाश कुमार मीणा	भीमाराम	**410**	8890931057
363	रमेश कुमार	वजाराम	**411**	9057005707
364	मुकेश कुमार	श्रवण कुमार	**412**	7340635119
365	भंवरलाल	दुदाराम	**413**	9983650607
366	रमेश कुमार	गिरधारीलाल	**414**	9950485810
367	महेन्द्र दत्त जोशी	जी.एल. जोशी	**415**	9950621302
368	विनोद कुमार	सुरेश कुमार	**416**	8209837734
369	उर्मिला कुमारी	रमेश कुमार	**417**	9549371081
370	कालुराम	भीमाराम	**418**	8290099178
371	राहुल कुमार मीणा	रामाराम	**419**	7728935588
372	रतनलाल मीणा	देवाराम	**420**	7734062477
373	पूनम	रामलाल	**421**	9799486488
374	पूजा	रामलाल	**422**	9799486488
375	कन्या कुमारी गरासिया	नेकाराम	**423**	7690020986
376	मांगीलाल	दयाला राम	**424**	9950678160
377	हरीश शंकर	भैरूलाल	**425**	6376475316
378	गणपतलाल	राजाराम	**426**	8209490691
379	कालुराम	सोनाराम	**427**	9119325867
380	शारदा कुमारी	गणेश कुमार	**428**	9145822508
381	छगनलाल	गणेश कुमार	**429**	9784173379
382	मोहित चौहान	भेराराम	**430**	9983787974
383	मानाराम	गिरधारी राम	**431**	8875043158
384	सुरेश कुमार	मांगीलाल	**432**	8440011280
385	मोहम्मद राशीद	हसन खान	**433**	9057590073

386	दिनेश हिरागरा	कानाराम	**434**	9928174542
387	अर्जुन कुमार	छोगाराम	**435**	9950842470
388	मोहम्मद यासीन	बाबुखान	**436**	9024263076
389	मोहसीन	कालुखान	**437**	7300157382
390	कमलेश	चम्पालाल	**438**	8690305560
391	सुरेश कुमार	मदनलाल	**439**	9928516713
392	सुर्यकान्त	मोहनलाल	**440**	9610501300
393	राम सिंह	प्रताप सिंह	**441**	9602493073
394	सोहनलाल	ढलाराम	**442**	8769937259
395	हर्षिता मोयल	कैलाश मोयल	**443**	9251804031
396	मोतीसिंह	रतनसिंह	**444**	9799344862
397	संजू कुमारी	राकेश कुमार	**445**	8290861615
398	चन्द्रदीप	जगदीश वैष्णव	**446**	7877770729
399	श्रवणदास	केवलदास	**447**	9166484021
400	श्रवण	मानाराम	**448**	7425888611
401	सुरेन्द्र	मंगलाराम	**449**	6367430094
402	कार्तिक गहलोत	रघुनाथ गहलोत	**450**	9351847071
403	अमजद	नैनु खान	**451**	7976476196
404	जय श्री	महिपालसिंहजी	**452**	9521549389
405	सारिका	दिलीप कुमार	**453**	8769292463
406	देवेन्द्र	शिवलाल	**454**	7820999949
407	जितेनद्र कुमार	मांगीलाल	**455**	8696002275
408	किर्ती सुखाडियॉ	अमृतलाल सुखाडियॉ	**456**	9351855598
409	योगेनद्र देवडा	अमरचंद देवडा	**457**	9252024248
410	वासुदेव पंवार	हापूराम	**458**	6350265155
411	रोहित सोलंकी	कन्हैयालाल	**459**	7014581471
412	विरेन्द्र आदिवाल	भरत कुमार आदिवाल	**460**	9664095909

413	हरिओम	लालमणि	**461**	9509042277
414	पुरण प्रकाश प्रजापत	घेवरराम	**462**	6377290800
415	जगदीश कुमार भट्ट	श्री यशपाल भट्ट	**463**	9950247842
416	भुपेन्द्र मीणा	चुनाराम	**464**	8107116296
417	मुकेश कुमार मीणा	मानाराम	**465**	8854877160
418	जितेन्द्र कुमार	मांगीलाल	**466**	9887809974
419	नरेश कुमार बावल	ताराचन्द बावल	**467**	9680157454
420	प्रवीण कुमार	बदाराम	**468**	8005529190
421	रामप्रकाश	कपूरा राम	**469**	9521551426
422	हरिश कुमार	तारा राम	**470**	8529287276
423	महेन्द्र कुमर	राजाराम	**471**	9358779855
424	कमलेश कुमार	चुन्नीलाल जी	**472**	9001680037
425	दलपत कुमार	रमेश कुमार	**473**	7073070510
426	महेन्द्र कुमार	ओमप्रकाश सिंगाडिया	**474**	6377154766
427	निशा	महेन्द्र कुमार	**475**	7791001016
428	कान्तिलाल	शंकरलाल	**476**	9351751434
429	रमेश कुमार	लसाराम	**477**	7851848467
430	दिलीप कुमार	पन्नालाल	**478**	7877083918
431	पिन्टू कुमार	भीलाराम	**479**	7877184178
432	अर्जुन कुमार	मनोहर लाल	**480**	9950318589
433	भरत परमार	चेनाराम परमार	**481**	7878138070
434	भैरू सिंह	लक्षमण सिंह	**482**	7733965757
435	मनीषा चौधरी	अणदाराम	**483**	9509398016
436	दिनेश चौधरी	अणदाराम	**484**	7737659278
437	पूजा जीनगर	हीरालाल	**485**	9610398042
438	भंवरी	चतराराम	**486**	9772724228
439	भरत कुमार	ईढाराम	**487**	9672615919

440	सुरेश कुमार परिहार	किस्तुर राम परिहार	**488**	9602708460
441	लक्ष्मण मीणा	मंशाराम	**489**	9587148298
442	राजाराम	मोहनलाल	**490**	9636701019
443	दिनेश कुमार	भगाराम	**491**	9351914791
444	हजाराम	कपूराराम	**492**	8905164970
445	अशोक कुमार	मोहनलाल	**493**	6378265291
446	मोहसीन खान	छोटू खान	**494**	8890749256
447	सोहिल खान	छोटू खान	**495**	9079651845
448	सुनिल कुमार	बुधाराम	**496**	8619018589
449	वरदाराम	सोमाराम	**497**	9602842876
450	वेर सिंह	छोग सिंह	**498**	8769452379
451	शेलेन्द्र कुमार	माणक राम	**499**	8905609024
452	राहुल कुमार	सवाराम	**500**	7339900554
453	महेन्द्र कुमार	हंसाराम	**501**	7742632986
454	रूपेश कुमार	सतलाराम	**502**	7568808581
455	मोतीलाल	भेराराम	**503**	8107653719
456	संजय कुमार	लालाराम	**504**	8107037115
457	सलीम खान	बाबु खान	**505**	6350415273
458	अकबर खान	गनी खान	**506**	9352851138
459	पूरण कुमार	सोनाराम	**507**	6367468761
460	कैलाश कुमार	भगाराम	**508**	7340282537
461	अशोक	घेवरराम	**509**	9649414718
462	रतनलाल मीणा	गणेश दास मीणा	**510**	7427826144
463	साहिना	मोहम्मद यूसूफ	**511**	7340282400
464	बजरंग लाल सैन	कल्याण मल सैन	**512**	9404138470
465	मनोहरलाल	बाबुलाल	**513**	9636817218
466	हिम्मताराम	पूनाराम	**514**	7990659309

467	प्रतीक पंवार	राजेन्द्र कुमार	**515**	9784847398
468	प्रशंना पंवार	राजेन्द्र पंवार	**516**	8619950889
469	प्रकाश राम	शिवाराम	**517**	7340377706
470	धीरज गहलोत	वीरमदेव गहलोत	**518**	7014830677
471	गोविन्द लाल	हुकमाराम	**519**	9602216728
472	रिहाना बानों	इरफान मोहम्मद	**520**	9829933831
473	विक्रम कुमार मीणा	वेनाराम	**521**	9950482033
474	भगाराम	रूपाराम	**522**	9024366713
475	विजयराज	बाबुलाल	**523**	9001463966
476	रवि कुमार	हजारी राम	**524**	8875062376
477	वेनाराम	वक्ताराम	**525**	9667511578
478	ओमप्रकाश रेगर	बाबुलाल	**526**	7850077583
479	चेतन कुमार आदिवाल	शान्तिलाल	**527**	9079302578
480	लक्ष्मण राम	लखाराम	**528**	7792050306
481	हरी राम	जगाराम	**529**	7665483687
482	रेखा	मकेश कुमार	**530**	6378165713
483	तरूण सिंह	पर्वत सिंह	**531**	9667805866
484	फिरोज खां	बाबु खां	**532**	9784221419
485	जीवाराम	श्री शान्तिलाल	**533**	9358070596
486	उम्मेद कुमार मीणा	कानाराम मीणा	**534**	9216575397
487	सुरेन्द्र सिंह	प्रेम सिंह	**535**	7665651816
488	कैलाश कुमार	मानाराम जी	**536**	9521049651
489	मुकेश कुमार	मांगीलाल	**537**	7239993448
490	कनिया कुमारी	भुराराम	**538**	8502974474
491	दुर्गा देवी	भुराराम	**539**	8502974474
492	नरेश कुमार मीणा	प्रभुराम मीणा	**540**	9660227179
493	नजमा बानो	मोहम्मद असलम	**541**	8003437605

494	सोनाराम	भुराराम	**542**	8905919100
495	रमेश कुमार गहलोत	चूनाराम गहलोत	**543**	8502953155
496	किशोर सिंह चौहान	विरान सिंह	**544**	6377793081
497	दिनेश कुमार	स्वरूपाराम	**545**	7424893694
498	हितेश कुमार शर्मा	अशोक कुमार शर्मा	**546**	7733020524
499	नवीन कुमार सुमन	मोहन लाल	**547**	9610500630
500	पंकज	गुलाब	**548**	7073136500
501	सवाई सिंह	हमीर सिंह	**549**	8118817378
502	अजयभान सिंह	सवाई सिंह	**550**	8955683077
503	हरिश कुमार	बाबुलाल	**551**	8955668906
504	चन्द्र प्रकाश परिहार	भागीरथ	**552**	9636971765
505	हंसाराम	श्री गिरधारीलाल जी	**553**	9252125452
506	मोहन लाल मीणा	भेराराम	**554**	6376773920
507	इन्द्रजीत सिंह जैतावत	चेतन सिंह जैतावत	**555**	7627041157
508	यशपाल सिंह राणावत	जेठुसिंह	**556**	9509463249
509	ताराराम	वागाराम	**557**	7425012697
510	महेन्द्र कुमार	वागाराम	**558**	7357236484
511	अरविन्द कुमार	कपुरा राम	**559**	7732919444
512	हितेश कुमार	छगन लाल मीणा	**560**	7378216532
513	भगवानसिंह चौहान	मोहब्बतसिंह चौहान	**561**	9680263031
514	लक्ष्मण सिंह	शैतान सिंह	**562**	9636344842
515	महिपाल सिंह	शैतान सिंह	**563**	8078626361
516	राहुल कुमार	चम्पालाल	**564**	9602446323
517	कैलाश देवासी	हापुराम	**565**	9950739233
518	अर्जुन कुमार	थानाराम मीणा	**566**	9785523793
519	कुन्दन सिंह	श्री पर्वत सिंह	**567**	8949578943
520	हार्दिक दवे	सुरेश कुमार दवे	**568**	7568856700

521	सोनू श्रीमाली	हार्दिक दवे	**569**	8107028143
522	जगदीश	भेराराम	**570**	9024516155
523	हर्षवर्धन सिंह भाटी	महावीर सिंह जी भाटी	**571**	9256292745
524	हिराराम	जोराराम	**572**	6376089132
525	नरपत सिह	श्री भवँर सिंह	**573**	9694224794
526	जीवाराम	चम्पालाल	**574**	8209862757
527	ओमाराम	मंगलाराम	**575**	9269796171
528	गौरव सिंह	तेजसिह	**576**	7690972987
529	सुरेन्द्र सिह भाटी	हुकम सिंह भाटी	**577**	9928763472
530	अशोक कुमार	किशन सिंह	**578**	9166508120
531	जयपाल	किशन सिंह	**579**	6363536475
532	प्रदीप	हरीराम	**580**	7976871524
533	लक्ष्मण राम	धनाराम	**581**	7389173658
534	जगदीश कुमार	रमेश कुमार	**582**	9351750205
535	राहुल शैतानसिंह राजपुरोहित	शैतानसिंह	**583**	9156324914
536	मनीषा	शेषाराम	**584**	9950319014
537	श्याम सिंह	जीवाराम जी	**585**	9257123790
538	योगेश्वर	मदनलाल	**586**	885067052
539	लक्ष्मण पंवार	रामलाल	**587**	9358261912
540	विमल कुमार	जसाराम	**588**	8879835265
541	विमला	बुधाराम विश्नोई	**589**	7023690029
542	सुमन पालीवाल	दलाराम	**590**	7976606220
543	अनिता विश्नोई	हनुमान राम	**591**	8005921927
544	शबियान बानो	इनायत हुसैन	**592**	9462617725
545	राधा कुमारी	रामनिवास विश्नोई	**593**	8079050533
546	अर्जुन राम	लक्ष्मण राम	**594**	9664244026
547	सीता कुमारी	चतराराम	**595**	9351747987

548	लक्ष्मण सिंह चौहान	विजय सिंह चौहान	**596**	7073619768
549	अजय कुमार सिंगाडिया	सम्पत राज	**597**	9571139068
550	विक्रम कुमार	श्री सकाराम	**598**	6350049536
551	नारायण लाल	मुलाराम	**599**	7023924827
552	विजय कुमार देवासी	कैशा राम जी	**600**	9610898529
553	नवाराम	रामाराम मीणा	**601**	9602620856
554	राजू राम विश्नोई	हनुमान राम	**602**	8005921927
555	मोहित राज	मंगलाराम	**603**	9928929473
556	फूलचंद	वेनाराम	**604**	8769034642
557	राजेन्द्र सिन्दल	स्व. महेन्द्र कुमार	**605**	9660187092
558	नजीर	फरीद खान	**606**	9001916177
559	गौतम	रूपाराम	**607**	9784558198
560	किरपादान	श्री दयाराम	**608**	9649805106
561	प्रवीण कुमार मीणा	रामाराम मीणा	**609**	7737903373

26. नागरिक सुरक्षा जिलों में उपलब्ध बचाव उपकरणों व अन्य संसाधनों की सूची

कार्यालय नियंत्रक (जिला कलक्टर), नागरिक सुरक्षा विभाग, पाली

क्र.स.	सामग्री का नाम	मात्रा
1	लाईफ बॉय	31
2	लाईफ जैकेट	35
3	रस्सा	19
4	हेलमेट	40
5	मेगा फोन/माइक	5
6	शूज	25
7	टॉर्च छोटी	3
8	ड्रेगन लाईट	9
9	स्ट्रेक्चर कॉटन	7
10	फाइबर स्पीन बोड प्लास्टिक	6
11	ब्लांकेट	12
12	बलाई	1
13	ऑक्सीजन फेस माक्स	2
14	ग्लबस	8
15	टूल किट	1
16	टयुब ब्लैक	8
17	सेफ्टी बेल्ट	5
18	लौहे की सांकल	4 नग
19	फायर फेस मार्क्स	7
20	बोलेरो कैम्पर वाहन	1
21	नाव मय मोटर	2

27. मॉक ड्रिल –

क्र.सं.	दिनांक	स्थान	हमले का प्रकार	वि.वि.
1	15.01.2026	Hemawas Bandh, Pali	फ्लड़/बाढ़ संबंधी	
2	11.02.2026	Bangur Stedium, Pali	फायर संबंधी	
3	24.04.2026	Bangur College, Pali	फायर संबंधी	

28. जिले में स्थापित विद्युत सायरन–

क्र.स.	जिले में स्थापित सायरनों की कुल संख्या	सायरन का स्थान	सायरनों की वर्तमान स्थिति	
			क्रियाशील	अक्रियाशील मय कारण
1	2	3	4	5
1	1	नगर पालिका तखतगढ भवन के ऊपर	क्रियाशील	–
2	1	नगर पालिका सादडी भवन के ऊपर	क्रियाशील	–
3	1	नगर पालिका सुमेरपुर भवन के ऊपर	क्रियाशील	–
4	1	जवाई बांध सुमेरपुर	क्रियाशील	–
5	1	नगर पालिका सोजत रोड भवन के ऊपर	क्रियाशील	–
6	1	नगर पालिका सोजत भवन के ऊपर	क्रियाशील	–
7	1	सोजत किले पर	क्रियाशील	–
8	1	उपखण्ड कार्यालय, सोजत	क्रियाशील	–
9	1	नगर पालिका मारवाड़ जं. भवन के ऊपर	क्रियाशील	–
10	1	आऊवा चौराह के पास, मारवाड़ जंक्शन	क्रियाशील	–
11	1	उम्मेद मिल, पाली	क्रियाशील	–
12	1	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, पाली	क्रियाशील	–
13	1	नायरा एनर्जी लिमिटेड, चोटिला, रोहट	क्रियाशील	–
14	1	बस स्टेण्ड, रोहट	क्रियाशील	–
15	1	नगर पालिका फालना भवन के ऊपर	क्रियाशील	–
16	1	नगर पालिका रानी भवन के ऊपर	क्रियाशील	–
17	1	धर्मवीर मैदान, रानी	क्रियाशील	–
18	1	अग्निशमन कार्यालय, रानी	क्रियाशील	–